वार्षिक रिपोर्ट 1994 – 95

एन एच पी सी

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

टी.बी.एम. से निर्माणाधीन हेडरेस टनल - दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

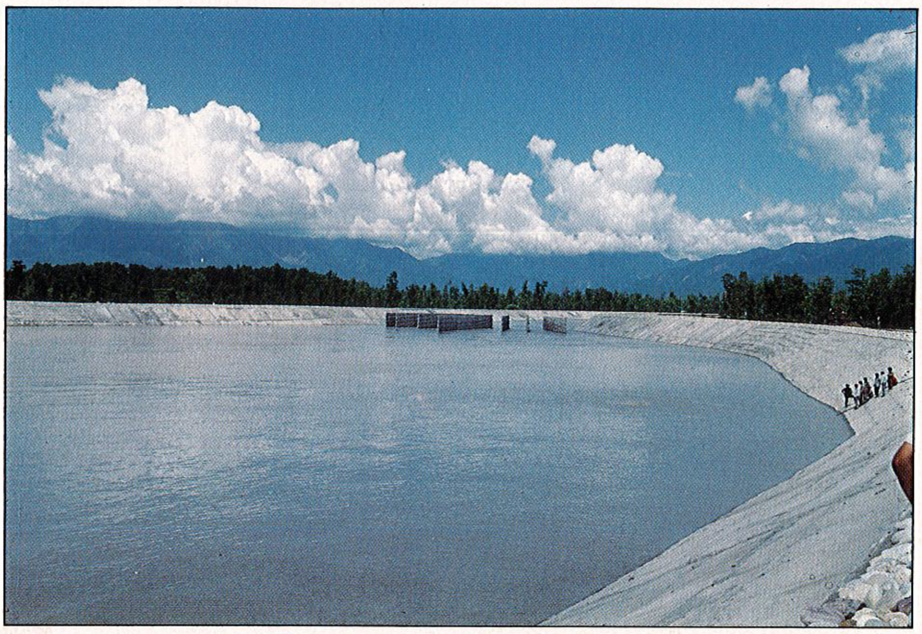

विषय सूची

निदेशक मंडल..2

अध्यक्षीय भाषण......................................3

निदेशकों की रिपोर्ट..............................6

लेखे...16

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट.........................36

भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां..40

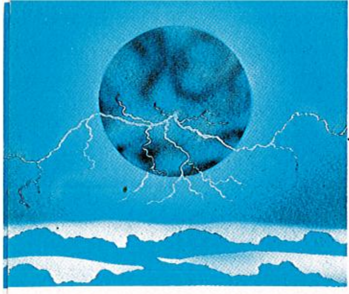

निदेशक मण्डल (19. 02. 1996 को)

श्री एस.आर. नरसिंहन

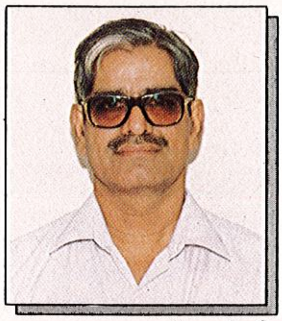

श्री एआई. बुनेट

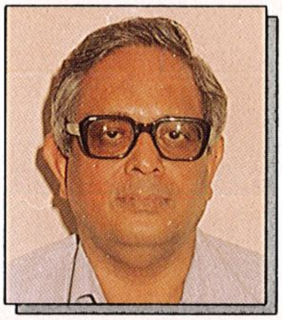

श्री आर नटराजन

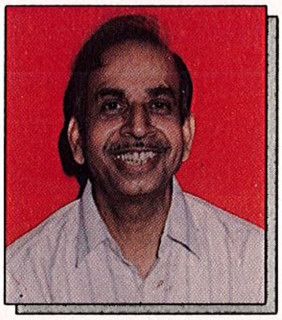

श्री एन. विश्वनाथन

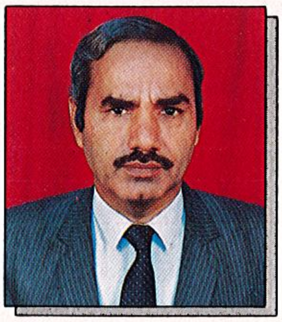

श्री एस.आर. शिवरैन

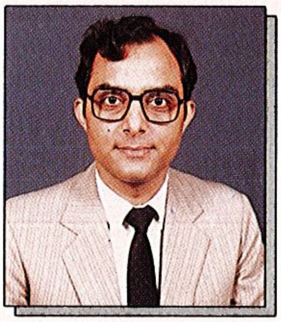

श्री सुधाकर राव

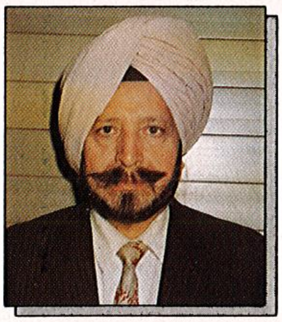

श्री राजेन्द्र सिंह

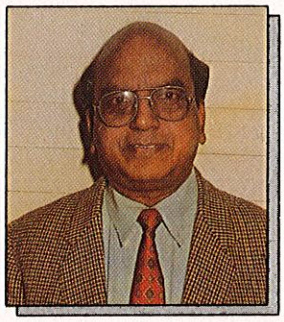

श्री रमेश चन्द्र

कंपनी सचिव

श्री एन. सीतारमन

सांविधिक लेखापरीक्षक

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउटेंट्स
305, यूनीक प्लाजा,
16/14, डब्ल्यूईए. करोल बाग,
नई दिल्ली - 110005.

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स दीवान एण्ड गुलाटी

चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
1/33, चौथी मंजिल,
ओल्ड राजेन्द्र नगर,
सर गंगाराम अस्पताल रोड,
नई दिल्ली - 110060

मैसर्स आर.सी. गुप्ता एण्ड कं०

चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
दुरबरगढ़ रोड,
जम्मू - 180001.

मैसर्स डी.पी. सेन एण्ड कं०

चार्टर्ड एकाउटेंट्स,
8/2, किरन शंकर राय रोड,
कलकत्ता - 700001.

बैंकर्स

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नैशनल बैंक
सिंडिकेट बैंक
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ौदा
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
देना बैंक
बैंक ऑफ भूटान

पंजीकृत कार्यालय : एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सैक्टर - 33, फरीदाबाद - 121003 (हरियाणा)

अध्यक्षीय भाषण

साथियो,

नैशनल हाइड्रेइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0 (एनएचपीसी) की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। वर्ष 1994-95 के लिए वित्तीय लेखे, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित निदेशकों की रिपोर्ट विचार व स्वीकार करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है।

निगम ने वर्ष 1994-95 के दौरान पिछले वर्ष 210.84 करोड़ रूपए के बिक्री कारोबार के स्थान पर इस वर्ष 482.13 करोड़ रूपए का बिक्री कारोबार किया जो 129% की शुद्ध वृद्धि दर्शाता है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के 70.54 करोड़ रूपए के स्थान पर 93.67 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। इस प्रकार निदेशकों ने गत वर्ष के 5 करोड़ रूपए के डिविडेंट के भुगतान की तुलना में 10 करोड़ रूपए शेयरधारकों को अदा करने की सिफारिश की है।

निगम ने 5308 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन लक्ष्य की तुलना में अपनी संचालित परियोजनाओं से 6058 मि.यू. विद्युत उत्पादन किया जो लक्ष्य के 14.13% वृद्धि दर्शाता है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में यह वृद्धि **चमेरा चरण-I परियोजना** के वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के कारण हुई है। इस संबंध में विशेष रूप से आपका ध्यान **चमेरा चरण-I** परियोजना के अति उत्तम निष्पादन की ओर दिलाना चाहता हूँ जिससे 1470 मि.यू. लक्ष्य की तुलना में 2288 मि.यू. विद्युत उत्पादन हुआ। इससे वर्ष के दौरान सम्पूर्ण उत्तरी ग्रिड में विद्युत की आवश्यकता की पूर्ति करने में काफी सहायता मिली है। **बैरास्यूल, लोकतक और टनकपुर परियोजनाओं** से भी लक्ष्य की तुलना में अधिक विद्युत उत्पादन किया गया जबकि **सलाल परियोजना** में सिल्ट की समस्या तथा उत्पादन यूनिटों के रख-रखाव व मरम्मत आदि के कारण लक्ष्य का केवल 89.30% विद्युत उत्पादन हुआ।

माननीय केन्द्रीय विद्युत मंत्री द्वारा उड़ी परियोजना के निर्माण कार्य का निरीक्षण

निगम ने 550 करोड़ रूपए के लक्ष्य की तुलना में बॉण्डें के माध्यम से 305 करोड़ रूपए एकत्र करने में सफलता हासिल की है। यह राशि निगम की निधि की आवश्यकताओं के अनुरूप एकत्र की गई है।

समीक्षाधीन वर्ष के अंत तक विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों की ओर एनएचपीसी की 431.04 करोड़ रूपए की राशि बकाया थी। के. पी. राव कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दर निर्धारण संबंधी मामला लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आंकड़ों की जांच करने के बाद भारत सरकार द्वारा दर-निर्धारण संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी। निगम विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों से वसूली के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है।

विद्युत मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार हमारे निगम ने सभी माइलस्टोन पूरे कर लिए हैं। इसके लिए वर्ष 1994-95 के दौरान निगम का कार्य निष्पादन "श्रेष्ठ" माना गया है।

निगम ने दिसम्बर, 94 में "बी" सीरीज बॉण्डें के परिपक्व होने पर ब्याज सहित 54.14 करोड़ रूपए की राशि में से 53.79

माननीय प्रधानमंत्री से श्रमवीर पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री के. एम. मीरा (चमेरा परियोजना)

करोड़ रूपए की राशि की अदायगी कर दी है।

निगम का विशेष उल्लेखनीय कार्य जम्मू-कश्मीर राज्य में **दुलहस्ती परियोजना** का निर्माण कार्य पुनः शुरू करना है। इस संबंध में फ्रेंच कंसोर्टियम तथा एनएचपीसी के बीच जून, 1994 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इस समझौता ज्ञापन को भारत सरकार द्वारा सितम्बर, 1994 में तथा फ्रेंच सरकार द्वारा मार्च, 1995 में अनुमोदित कर दिया गया। एनएचपीसी तथा मैसर्स डी.एस.बी के बीच जून, 1995 में पेरिस में औपचारिक रूप से पुनः कार्य शुरू करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एनएचपीसी और मैसर्स डी.एस.बी. के बीच सामग्री के हस्तांतरण संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए थे। निगम ने शेष सिविल कार्यों को पूरा कराने के लिए नए सिविल ठेकेदार के चयन करने संबंधी कार्य शुरू कर दिए हैं। नए ठेकेदार के साथ समझौते को अंतिम रूप दिए जाने तक सिविल कार्य निगम द्वारा विभागीय तौर पर शुरू कर दिए गए हैं। डाउन स्ट्रीम साइड में ड्रिलिंग जम्बू को उपयोग में लाते हुए हैडरेस टनल की खुदाई का कार्य प्रगति पर है और अपस्ट्रीम साइड में यह कार्य विभागीय विशेषज्ञों की सहायता से टी.बी.एम. द्वारा किया जा रहा है।

उड़ी परियोजना में निर्माण गतिविधियां निरन्तर प्रगति पर हैं। इस परियोजना की पहली यूनिट दिसम्बर, 96 तक पूरी होने की आशा है। इसके साथ-साथ दूसरी यूनिट फरवरी, 97 में और तीसरी तथा चौथी यूनिट क्रमशः अप्रैल और मई, 97 में पूरी होने की आशा है। इस परियोजना में निर्माण गतिविधियों की प्रगति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह प्रगति कश्मीर घाटी की कानून व व्यवस्था एवं मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जा रही है।

रंगित परियोजना में भारी वर्षा एवं अभूतपूर्व बाढ़ के कारण कॉफर बाँध क्षतिग्रस्त हो गया था। निगम ने कॉफर बाँध को पुनः बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं, ताकि परियोजना की निर्माण संबंधी योजना प्रभावित न हो। नदी विभाजन का कार्य पुनः 3 दिसम्बर, 1995 को पूरा कर लिया गया था।

जम्मू-कश्मीर राज्य में **सलाल चरण-II परियोजना** की तीसरी यूनिट फरवरी, 1995 में टेलरेस टनल-I के माध्यम से सिंक्रोनाइज़्ड कर दी गई थी और टेलरेस टनल-I का निर्माण कार्य प्रगतिपर है, जिसके मार्च, 1996 में पूरा होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश राज्य में **धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना चरण-I** के निर्माण कार्य के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान जापान की ओ.ई.सी.एफ. संस्था 5665 मिलियन येन की वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गई है। तदनुसार, निगम ने इस परियोजना के संरचनात्मक कार्य शुरू कर दिए हैं। यद्यपि **कोयलकारो जल विद्युत परियोजना** का निर्माण कार्य समीक्षधीन वर्ष के दौरान शुरू नहीं किया जा सका है।

चमेरा चरण-II परियोजना के टर्नकी आधार पर शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता के अनुसार प्राप्त बोलियों की छंटनी का कार्य प्रगति पर है।

विद्युत मंत्रालय ने एन.एच.पी.सी से **सावलकोट**

माननीय विद्युत राज्य मंत्री डा. उर्मिला बेन पटेल-सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर) में सतर्कता पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करती हुई

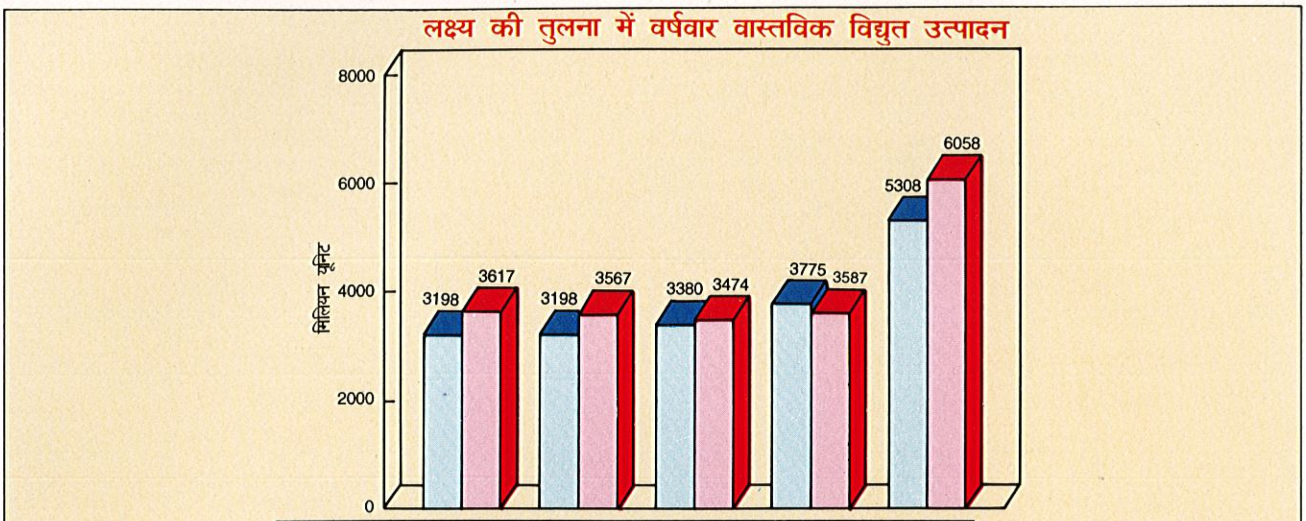

वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	3198	3198	3380	3775	5308
वास्तविक (मिलियन यूनिट)	3617	3567	3474	3587	6058

व बगलिहार परियोजनाओं को वापस जम्मू कश्मीर सरकार को सौपनें के लिए कहा है। इस निर्णय को लागू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में 2.25 मेगावाट की **कालपेंग परियोजना** का शिल्यान्यास वहां के लैफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा अक्तूबर, 95 में किया गया। इसी के साथ निगम ने इस परियोजना का निर्माण डिपॉजिट कार्य के रूप में हाथ में लिया है। इस परियोजना के लिए निधि की व्यवस्था अंडमान निकोबार द्वीपसमूह प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। भूटान में 45 मेगावाट की **कुरिचू जल विद्युत परियोजना** के निर्माण संबंधी समझौते पर एनएचपीसी और **कुरिचू परियोजना प्राधिकरण** के बीच सितम्बर, 95 में हस्ताक्षर किए गए। एनएचपीसी ने परियोजना पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए संसाधन जुटाने आरम्भ कर दिए हैं।

एनएचपीसी को जम्मू व कश्मीर राज्य में **जवाहर टनल** की लाइनिंग का कार्य भी सौंपा गया था। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बहुत सी निजी क्षेत्र की कम्पनियों ने भी निगम के पास उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने की पेशकश की है।

निगम ने अपनी विभिन्न संचालित परियोजनाओं में उपलब्ध अतिरिक्त स्टाफ को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय को एक स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लागू करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विद्युत मंत्रालय ने इस योजना को अनुमोदित करके बी.पी.ई. को प्रस्तुत किया है। यद्यपि बी.पी.ई. ने विद्युत मंत्रालय को सुझाव दिया है कि एनएचपीसी में भारत सरकार द्वारा पहले से ही स्वीकृत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को ही पुनः क्रियान्वित किया जाए। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। निगम ने अपने कर्मचारियों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों में उनका चयन होने की शर्त के अनुसार 2 वर्ष के लियन के आधार पर निगम के बाहर भेजने की योजना लागू की है।

आपको यह सूचित करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1994 में प्रधानमंत्री के श्रमवीर पुरस्कार के लिए चुने गए चमेरा परियोजना के दो कर्मचारियों को 19 मई, 1995 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया गया।

एनएचपीसी पर्यावरण संबंधी अपने वायदे के प्रति निरन्तर प्रयासरत है।

हम केन्द्रीय विद्युत मंत्री श्री एन. के .पी साल्वे, विद्युत राज्य मंत्री डॉ॰ श्रीमती उर्मिला बेन पटेल एवं श्री पी॰ अब्राहम, सचिव (विद्युत) के मार्गदर्शन व बहुमूल्य सहयोग के लिए आभारी हैं। मैं विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों के बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं एनएचपीसी के सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा दिखाए गए उत्साह तथा त्याग व समर्पण की भावना का भी विशेष उल्लेख करना चाहता हूँ जिससे निगम को वर्ष के दौरान उत्कृष्ट निष्पादन करने में सफलता मिली है।

मैं समस्त निदेशक मंडल का उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन, दिशा-निर्देश और अद्वितीय सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूँ जिससे कि इस निगम को वर्ष 1994-95 के दौरान आत्मनिर्भरता व संतुष्टि प्राप्त करने में सफलता मिली।

(एस॰ आर॰ नरसिंहन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक :19 फरवरी,1996

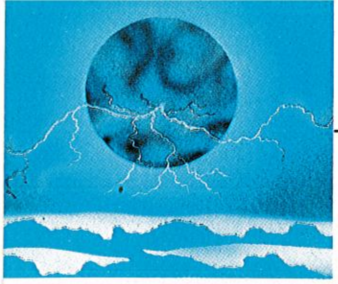

निदेशकों की रिपोर्ट – वर्ष 1994–95 के लिए हिस्सेदारों की सेवा में

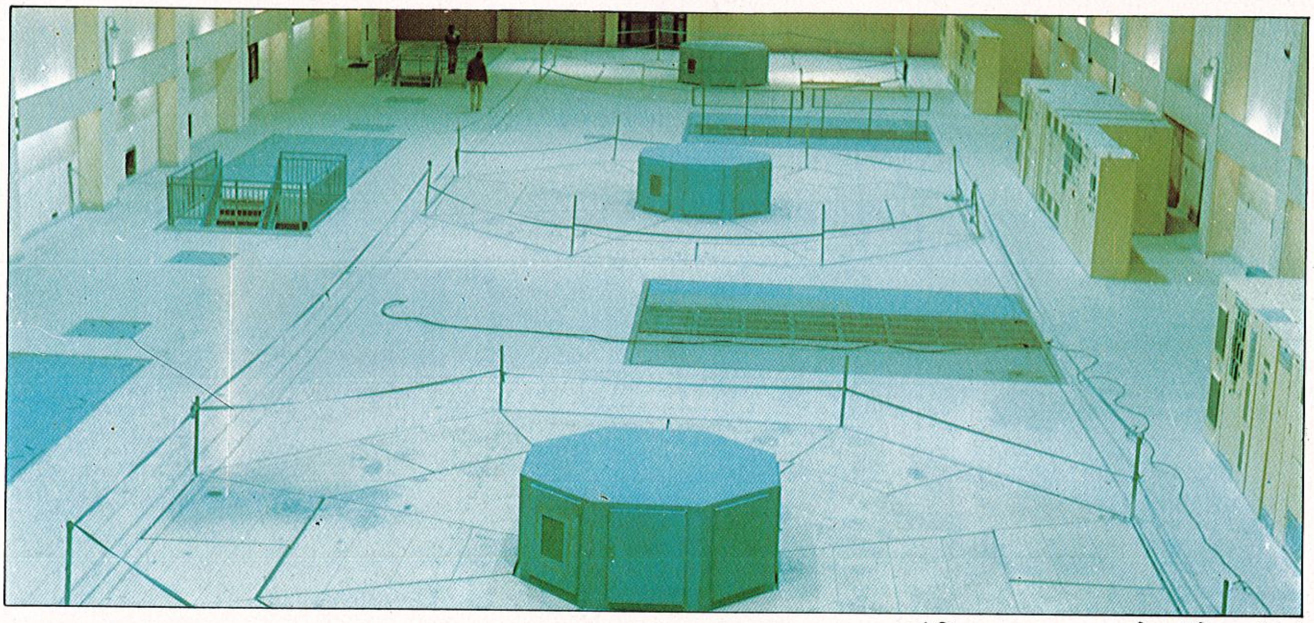

आंतरिक दृश्य पावर हाउस–चमेरा परियोजना (हि.प्र.)

मैं निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष एनएचपीसी के कार्यकलापों की 19वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखापरीक्षा सहित सांविधिक लेखापरीक्षकों की 31 मार्च, 1995 को समाप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

1. वित्तीय निष्पादन :

पिछले वर्ष के 70.54 करोड़ रू. की तुलना में निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 93.67 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। अत: निदेशक मंडल ने शेयरधारकों को 10 करोड़ रूपए के डिविडेंड का भुगतान करने की सहमति दे दी है। पिछले वर्ष के 210.84 करोड़ रूपए के बिक्री टर्नओवर की तुलना में वर्ष के दौरान निगम का कुल बिक्री टर्नओवर बढ़कर 482.13 करोड़ रूपए हो गया। यह वृद्धि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान चमेरा चरण–। परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के परिणामस्वरूप हुई।

वर्ष 1994–95 के दौरान निगम ने विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किए गए एम.ओ.यू. के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की, जिसके लिए निगम के कार्य निष्पादन को ''श्रेष्ठ'' माना गया। पिछले वर्ष के 250.80 करोड़ रूपए की तुलना में 31.3.95 तक विभिन्न लाभभोक्ता राज्यों की ओर 431.04 करोड़ रूपए की राशि बकाया थी। ऐसा मुख्य रूप से चमेरा चरण–। परियोजना की दर निर्धारण का मामला तय न होने के कारण हुआ है।

निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 2500 करोड़ रूपए से बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

वर्ष 1994–95 के दौरान निगम को बॉण्डों के माध्यम से 550 करोड़ रूपए जुटाने की आशा थी। निगम निधि की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर 305 करोड़ रूपए जुटाने में सफल हुआ है। निगम ने ''बी'' सीरीज बॉण्डों की अवधि दिसम्बर, 94 में पूरी होने पर 54.14 करोड़ रूपए में से 53.79 करोड़ रूपए की राशि की अदायगी की।

बिक्री की तुलना में लाभ

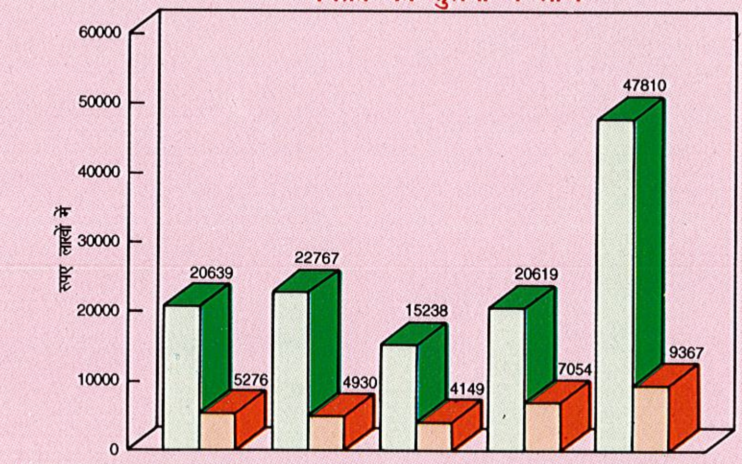

वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
बिक्री (रुपए लाखों में)	20639	22767	15238	20619	47810
लाभ (रुपए लाखों में)	5276	4930	4149	7054	9367

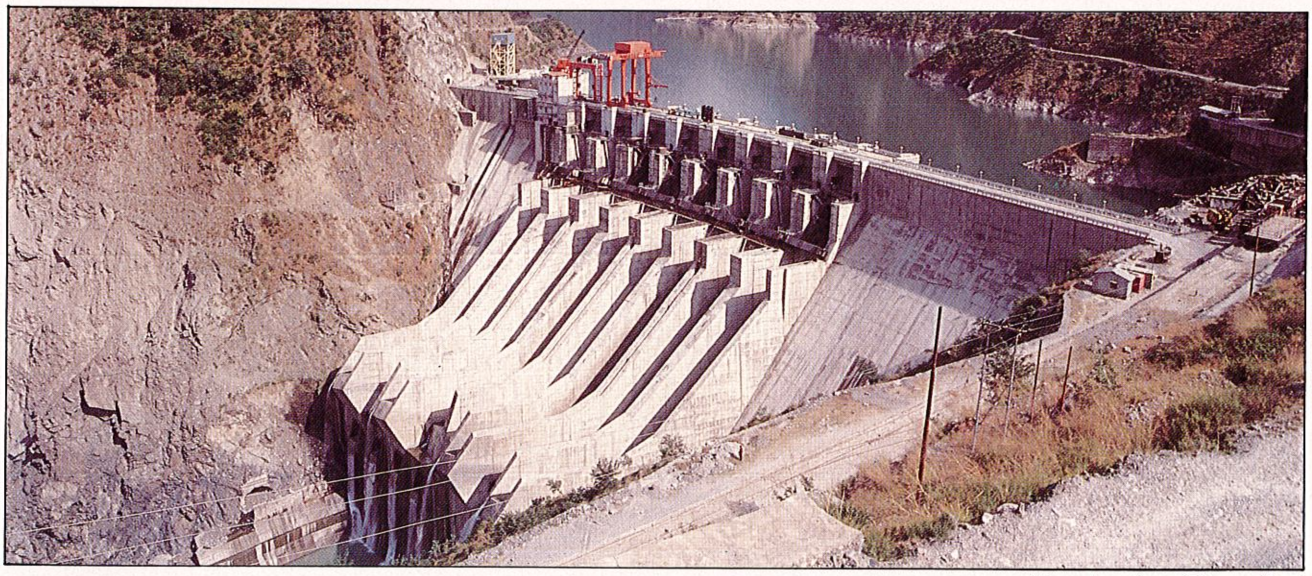

कंक्रीट बांध-चमेरा परियोजना (हि.प्र.)

वित्तीय परिणाम:

	1994-95	1993-94
		(रूपए लाखों में)
मूल्यह्रास और वित्तीय प्रभारों से पूर्व लाभ	40959	16862
मूल्यह्रास से पूर्व लाभ	16837	9073
निम्न के लिए जोड़ें/घटाएं		
(i) मूल्यह्रास	(3653)	(2304)
(ii) पूर्व अवधि समंजन	(852)	285
(iii) अतिरिक्त सामान्य मदें	(2965)	-
मूल्यह्रास और पिछले वर्षों के समंजन के बाद लाभ	9367	7054
जोड़ें		
पिछले वर्षों के लाभ व हानि लेखे का अधिशेष	2371	12
विनियोजन		
(i) डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व	2750	4195
(ii) प्रस्तावित लाभांश	1000	500
(iii) तुलनपत्र में आगे लाया गया शेष	7988	2371

2. कार्य निष्पादन के मुख्य-मुख्य अंश

वर्ष के दौरान निगम की संचालित परियोजनाओं से 5308 मि. यू की तुलना में वास्तविक रूप से 6058 मि. यू विद्युत उत्पादन हुआ, जो कि निर्धारित लक्ष्य से 14.13 प्रतिशत अधिक है।

विद्युत स्टेशनों का कार्य निष्पादन

(मिलियन यूनिट)

क्र. सं.	विद्युत स्टेशन	1993-94	1994-95		प्रतिशतता	1995-96	
		वास्तविक (मि.यू.)	लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)		वर्ष के लिए लक्ष्य	अक्तूबर '95 तक वास्तविक
1.	बैरास्यूल	609.01	750	832.93	111.06	750	654.37
2.	लोकतक	617.07	450	516.34	114.74	450	235*
3.	सलाल	1959.58	2188	1953.82**	89.30	2188	1475**
4.	टनकपुर	400.39	450	466.91	103.76	460	327
5.	चमेरा-।	***	1470	2288.00	155.65	1742	1848

* मरम्मत के लिए विद्युत उत्पादन यूनिटों के बन्द रहने के कारण उत्पादन में कमी।

** जलाशय में गाद एकत्र होने और मरम्मत व रखरखाव की वजह से उत्पादन यूनिटों के बंद के कारण कमी।

*** चमेरा चरण-। परियोजना से वाणिज्यिक उत्पादन 1994-95 में आरम्भ हुआ।

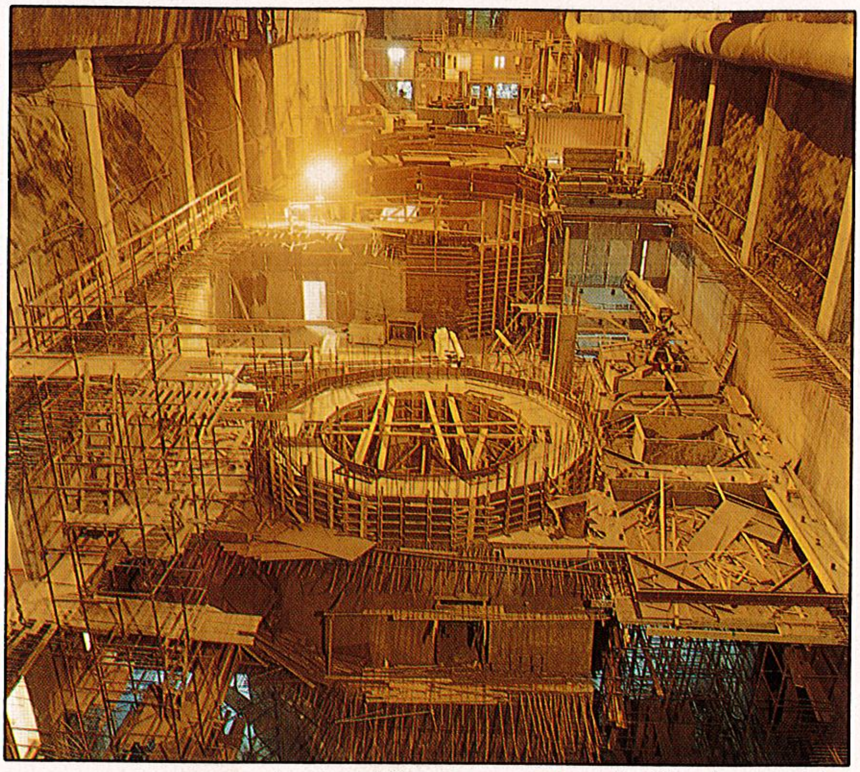

आंतरिक दृश्य पावर हाउस - उड़ी परियोजना(जम्मू व कश्मीर)

3. निर्माणाधीन परियोजनाएं :

(1) दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (3x130 मे॰वा॰)(जम्मू-कश्मीर) :

यह परियोजना टर्नकी आधार पर निर्माण के लिए फ्रैंच कंसोर्टियम को सौंपी गयी थी।

जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि कानून व व्यवस्था बिगड़ जाने के कारण परियोजना स्थल पर अगस्त, 92 से सिविल कार्य को डी.एस.बी. के ठेकेदारों ने स्थगित कर दिया था। भारत सरकार द्वारा इसकी मध्यस्थता करने के प्रयास किये गए थे । इस संबंध में एन.एच.पी.सी और फ्रैंच कंसोर्टियम के बीच जून, 1994 में पेरिस में उपयुक्त बातचीत और समझौते के लिए एम. ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे परियोजना स्थल पर पुन: कार्य गतिविधियाँ शुरू की जा सकीं ।

भारत सरकार ने एम.ओ.यू. को सितम्बर, 94 में और फ्रैंच सरकार ने मार्च, 95 में अनुमोदित किया था। इसके बाद समझौता ज्ञापन के अनुमोदनों को लागू करने के लिए एन.एच.पी.सी. और डी.एस.बी. के मध्य पेरिस में जून, 95 में समझौते पर औपचारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे। एन.एच.पी.सी. तथा डी. एस.बी. के बीच हुए समझौते के अनुसार उपस्कर तथा सामग्री आदि का आदान-प्रदान पूरा कर लिया गया था।

नए सिविल ठेकेदारों को लगाए जाने की प्रक्रिया के बाद शेष सिविल कार्य का निष्पादन प्रगति पर है। कार्य सौंपे जाने का मामला अंतिम रूप से निलम्बित होने के कारण सिविल निर्माण कार्य विभागीय तौर से शुरू कर दिए गए हैं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि एन.एच.पी.सी. टी.बी.एम. जैसे विशिष्ट उपस्करों का उपयोग करने में सफल रही है।

(2) उड़ी जल विद्युत परियोजना (4 x120 मेगावाट) (जम्मू - कश्मीर) :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैराज, हैडरेग्युलेटर, कट एवं कवर कंड्यूट, डिसिल्टिंग बेसिन, सरप्लस स्केप, हैडरेस नहर आदि जैसे भूमिगत निर्माण कार्यों का निष्पादन अधिकांशत: पूरा कर लिया गया है।

टेलरेस सुरंग का कार्य 28.9.95 को पूरा कर लिया गया है।

पावर हाउस में सभी ड्राफ्ट ट्यूब व गेट, हॉल शाफ्ट लगा लिए गये हैं। यूनिट-IV की टॉप फ्लोर तक की कंक्रीटिंग पूरी कर ली गयी है। यूनिट-II, III, और IV की स्पाइरल केसिंग पूरी कर ली गयी है। अधिकतर इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोमैकेनिकल उपस्कर स्थल पर पहुँच चुके हैं।

यह परियोजना मई, 97 तक पूरा करने का कार्यक्रम है। इसकी पहली यूनिट दिसम्बर, 96, दूसरी यूनिट फरवरी, 97 और तीसरी तथा चौथी यूनिट क्रमश: अप्रैल और मई, 97 में चालू होने की आशा है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुसार उपलब्धियाँ प्राप्त करने के लिए कार्य की प्रगति सुनिश्चित की गई है।

(3) रंगित जल विद्युत परियोजना (3x20 मेगावाट) सिक्किम :

इस परियोजना की कॉलोनी रोड, भंडार, वर्कशॉप, डी.जी.सैट, संचार तंत्र सहित सभी संरचनात्मक निर्माण कार्य पूरे कर लिए गये हैं।

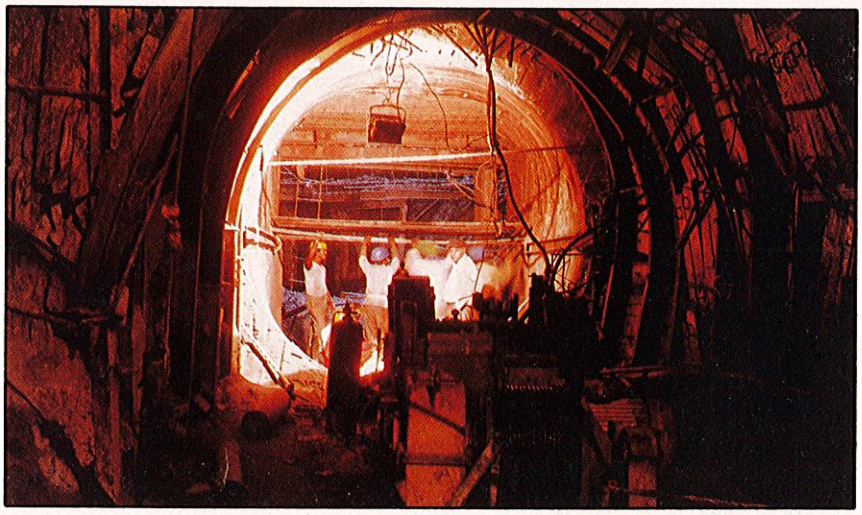

सर्ज साफ्ट का डाउन स्टीम ट्रांजिशन - रंगित परियोजना(सिक्किम)

पावर हाउस टनल-प्रगति पर - दुलहस्ती परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

डाइवर्शन टनल के पूरे होने के साथ ही नदी मोड़ ली गई थी। बांध खण्डों की खुदाई भी पूरी कर ली गयी है। वर्ष के दौरान कॉफर बांध का निर्माण भी कर लिया गया था। यद्यपि भारी वर्षा और अभूतपूर्व बाढ़ के कारण कॉफर बांध प्रभावित हुआ था। इस निगम ने कॉफर बांध को पुनः ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाए ताकि निर्माण कार्य पूरा करने के कार्यक्रमों पर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इस प्रकार नदी को पुनः 3.12.95 को मोड़ लिया गया था।

कार्य की गति में तेजी लाने के लिए हैडरेस टनल के अपस्ट्रीम का निर्माण कार्य ठेकेदारों से वापस लेने के बाद विभागीय तौर से खुदाई की गयी। हैडरेस टनल की सितम्बर, 95 तक की जाने वाली 3000 मीटर की खुदाई में से लगभग 901 मीटर की खुदाई पूरी कर ली गयी है। इस कार्य के लिए उपयोग में आने वाले अधिकांश उपस्कर एन.एच.पी.सी. की चमेरा तथा अन्य परियोजनाओं से हस्तांतरित करके उपयोग में लाये जा रहे हैं।

पावर हाउस के गड्ढे की खुदाई पूरी कर ली गई है और पावर हाउस से संबंधित अन्य निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। अधिकतर टरबाइन तथा जनरेटर उपस्कर स्थल पर पहुंच चुके हैं।

यह परियोजना मार्च, 1997 में संचालित करने का कार्यक्रम है परन्तु इसमें कुछ विलम्ब होने की संभावना है।

(4) सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3 x 115 मे.वा.) (जम्मू – कश्मीर) :

टी.आर.टी.-I के कार्य के माध्यम से तीसरी यूनिट फरवरी, 95 में सिंक्रोनाइज्ड की गई थी और टी.आर.टी.-II का कार्य प्रगति पर है। इसके मार्च, 1996 में पूरा होने की आशा है।

वर्ष 1994-95 के दौरान सलाल जल विद्युत परियोजना (चरण-II) की 115 मे.वा. की तीसरी यूनिट के संचालित हो जाने के साथ ही इस निगम की कुल संस्थापित क्षमता 1653 मेगावाट तक बढ़ जाएगी।

(5) धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (4x70 मे.वा.) (उ०प्र०):

इस परियोजना के लिए अपेक्षित वन, रक्षा तथा निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए कदम उठाए गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी कर दी गई हैं। बांध स्थल पर अस्थायी मकानों का निर्माण शुरू कर दिया गया है। एक स्थायी कॉलोनी स्थापित करने के लिए सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त ड्रिलिंग, जियोलॉजीकल मैपिंग और सर्वेक्षण आदि जैसे अन्य अन्वेषण कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं और ये कार्य प्रगति पर हैं।

इस परियोजना के लिए वर्ष 1995-96 में 5665 मिलियन येन की वित्तीय सहायता देने के लिए जापान की ओ.ई.सी.एफ. सहमत हो गई है।

(6) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना (710 मे.वा.) (बिहार) :

परियोजना के लिए वित्त की उपलब्धि न होने के साथ-साथ स्थानीय अड़चनों के कारण इस परियोजना का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका है। इस परियोजना के निष्पादन के लिए राज्य सरकार इच्छुक है। अतः परियोजना का कार्य आरम्भ करने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है।

(7) चमेरा जल विद्युत परियोजना (चरण-II) (3 x 100 मे.वा) (हिमाचल प्रदेश) :

इस परियोजना के अधिकांश संरचनात्मक

निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं। कैरियां में आवासीय भवनों के निर्माण के विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त वित्त की कमी के कारण अन्य पूर्व-निर्माण गतिविधियां जारी नहीं रखी जा सकी हैं।

वर्ष के दौरान परियोजना के लिए शत-प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था के आधार पर टर्नकी निष्पादन के लिए एन.एच.पी.सी. द्वारा जारी आई.सी.बी. के अधीन निविदाएं प्राप्त हुई, जो मूल्यांकन के अधीन हैं।

(8) बगलिहार तथा सावलकोट जल विद्युत परियोजनाओं का हस्तांतरण, (जम्मू – कश्मीर) :

विद्युत मंत्रालय ने सावलकोट और बगलिहार जल विद्युत परियोजनाएं जम्मू - कश्मीर सरकार को सौंपने के लिए एन.एच.पी.सी. को अपनी सहमति दे दी है। इसमें वहाँ तैनात स्टाफ भी शामिल है बशर्ते कि परियोजनाओं पर एन.एच.पी.सी. द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस निर्णय को लागू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(9) कालपोंग परियोजना (2x1.125 मे.वा.) अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह :

एन.एच.पी.सी. को कालपोंग परियोजना डिपॉजिट कार्य के तौर पर निष्पादन के लिए सौंपी गई थी, जिसके लिए वित्तीय व्यवस्था अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह प्राधिकरणों द्वारा की जानी है। इस परियोजना की मूल योजना के लिए तकनीकी-आर्थिक मंजूरी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्राप्त हो गई है। वन मंजूरी भी पर्यावरण व वन मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। क्षतिपूरक जियो-टैक्नीकल अन्वेषण एन.एच.पी.सी. द्वारा कर लिए गए हैं। इस निगम ने मार्च/अप्रैल, 1994 के दौरान अण्डमान व निकोबार प्रशासन के माध्यम से ई. एफ.सी. मीमो विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया है।

यह परियोजना 15 मे.वा. से कम क्षमता की होने के कारण गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई है और निष्पादन के लिए परियोजना की लागत अनुमानों और अन्य ब्यौरों संबंधी विचार विमर्श अण्डमान व निकोबार प्राधिकरणों से किए जा रहे हैं। इस परियोजना को एन.एच.पी.सी. के माध्यम से डिपॉजिट कार्य के आधार पर 1523.40 लाख रूपए की लागत पर निष्पादित करने के लिए एन.सी.ई.एस. मंत्रालय द्वारा जून, 1995 में प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त हो गया था। इसके लिए वित्तीय व्यवस्था अण्डमान व निकोबार प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। कालपोंग परियोजना की आधारशिला अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह के लेफ्टीनेंट गवर्नर द्वारा 1. 10. 1995 को रखी गई है।

कालपोंग परियोजना (अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह) - शिलान्यास

(10) कुरिचू जल विद्युत परियोजना (3 x 15 मे.वा.) भूटान :

एन.एच.पी.सी. और कुरिचु परियोजना प्राधिकरण (के.पी.ए.) के बीच 45 मेगावाट की कुरिचु परियोजना के निष्पादन के लिए 27.9.1995 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे।

परियोजना स्थल पर एक्सप्लोटरी ड्रिलिंग, निर्माण सामग्री, सर्वेक्षण तथा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर हैं। कुरिजम्बा से परियोजना स्थल तक के लिए अस्थायी सड़कों और भवनों के निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित भूमि ले ली गई है और सड़क निर्माणाधीन है। फील्ड हॉस्टल का निर्माण प्रगति पर है। डाइवर्शन टनल जैसे मुख्य सिविल निर्माण कार्यों के लिए प्री-क्वालिफिकेशन के लिए निविदाओं का मूल्यांकन कर दिया गया है और निविदाएं मंगाने का कार्य प्रगति पर है।

समझौते पर हस्ताक्षर - कुरिचु परियोजना (भूटान)

4. सर्वेक्षण व अन्वेषण :

धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना (मध्य चरण) (4 x 50 मेगावाट) : (उत्तर प्रदेश) :

निगम विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी जारी कराने के लिए लगातार सम्पर्क बनाए हुए है।

(1) गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-I) (3 x 20 मे.वा.) तथा चरण-II (4 x 40 मे.वा.) (उ०प्र०):

अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए थे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को 1990 में प्रस्तुत कर दी गई है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के पूरा होने तक इन परियोजनाओं की योजना प्रक्रिया स्थगित रखने का सुझाव दिया है।

(2) गौरीगंगा जल विद्युत परियोजना (चरण-III) (3 x 40 मे.वा.) उ०प्र०:

अन्वेषण कार्य पूरे कर लिए गए थे और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को मार्च, 1992 में प्रस्तुत की गई थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के विभिन्न विभागों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही हैं। परियोजना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक मंजूरी की प्रतीक्षा है।

5. लाभभोक्ताओं से बकाया वसूली :

बोर्ड द्वारा नवम्बर, 1994 में लिए गए निर्णयों के संदर्भ में के.पी. राव समिति की सिफारिशों के अनुसार दर समायोजन किए जा रहे हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तारीख के सत्यापन के बाद सरकार द्वारा दर की अधिसूचना लंबित है। दर समायोजन के पश्चात् विभिन्न लाभभोक्ताओं/राज्य विद्युत बोर्डों की ओर पिछले वर्ष के 250.80 करोड़ रूपए की तुलना में 31.3.95 तक 431.04 करोड़ रूपए की राशि बकाया थी। बकाया देयताओं में लगातार बढ़ोत्तरी होना निगम के लिए भारी चिन्ता का विषय है।

राज्य विद्युत बोर्डों से देयताओं की वसूली के लिए सघन प्रयास उच्च स्तर पर किए गए थे, जिससे कि राज्य सरकारों तथा राज्य विद्युत बोर्डों से अधिकतम सम्भव वसूली सुनिश्चित की जा सके।

6. परामर्श सेवाएं :

वर्ष के दौरान निगम ने प्रदत्त परामर्शी सेवाओं के लिए 3.43 करोड़ रूपए प्राप्त किए, जिसमें जवाहर टनल लाइनिंग कार्य के 3.32 करोड़ रूपए और टी.एच.डी.सी., एन.जे.पी.सी., फोनिक्स इन्टरनैशनल लिमिटेड आदि जैसे विभिन्न संगठनों के लिए किए गए जियो-फिजिकल, डिज़ाइन कार्य के 11 लाख रूपए की राशि शामिल है।

7. पूंजीगत संरचना :

इस निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी 2500 करोड़ रूपए है। निगम की प्रदत्त हिस्सा पूंजी में भारत सरकार के आदेशों को लागू करने के फलस्वरूप 1.4.92 को रूपए 205,64,61,000/- तक की कमी आई थी। निगम की प्रदत्त हिस्सा पूंजी में यह कमी पी.जी.सी.आई.लि. को हस्तांतरित पारेषण परिसम्पत्तियों की लागत के लिए की गई थी। इस प्रकार 31.3.95 को प्रदत्त हिस्सा पूंजी 2295.24 करोड़ रूपए थी। मार्च, 95 में इक्विटी पूंजी के तौर पर मुक्त की गई 205.86 करोड़ रूपए की राशि हिस्सा पूंजी डिपॉजिट लेखा, शेयरों के लंबित आबंटन में रखी गई है।

निगम की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी को बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

8. प्रस्तावित लाभांश :

वर्ष 1994-95 के लिए 10 करोड़ रूपए के लाभांश की अदायगी की व्यवस्था की गई है और यह राशि हिस्सेदारों की वार्षिक साधारण बैठक में अनुमोदन के बाद भारत के राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी।

9. बॉण्ड :

इस निगम ने सिक्योर्ड, नॉन कंवर्टीबल, रिडीमेबल बॉण्डों के माध्यम से दिसम्बर, 1995 तक 1984.95 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित की थी। वर्ष 1994-95 में बॉण्डों के माध्यम से 550 करोड़ रूपए एकत्रित करने की निगम को आशा थी। फिर भी, निगम ने वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर केवल 305 करोड़ रूपए एकत्रित कर लिए हैं। भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के 245 करोड़ रूपए की शेष राशि को 30 सितम्बर, 1995 से पहले एकत्रित करने की अनुमति निगम को दे दी है। इस तारीख तक 97.36 करोड़ रूपए की राशि एकत्रित की जा सकी है।

वर्ष 1995-96 के लिए पुनः बॉण्डों के माध्यम से 464.29 करोड़ रूपए एकत्रित करने की अनुमति निगम को प्राप्त हो गई है, जिसमें कर मुक्त बॉण्डों के रूप में 200 करोड़ रूपए एकत्रित होंगे।

जैसा कि पहले सूचित किया गया है कि निगम ने "ए" सीरीज बॉण्डों के कुल 143.64 करोड़ रूपए में से 142.81 करोड़ रूपए का भुगतान जुलाई, 93 में कर दिया था। इस निगम ने "बी" सीरीज बॉण्डों के कुल 54.14 करोड़ रूपए में से ब्याज सहित 53.79 करोड़ रूपए का भुगतान दिसम्बर, 1994 में किया है।

10. पुरस्कार-उत्कृष्ट कार्यों के लिए :

इस निगम की चमेरा जल विद्युत परियोजना में कार्यरत श्री मोहिन्द्र सिंह, फोरमैन (सिविल) तथा श्री के.एम. मीरा, फिटर (स्पेशल) को वर्ष 1994 के लिए प्रधानमंत्री के श्रमवीर पुरस्कार से प्रधानमंत्री जी ने 19.5.95 को नई दिल्ली में पुरस्कृत किया है। उन्हें यह पुरस्कार चमेरा परियोजना को प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किया गया है।

11. एन.एच.पी.सी. तथा पर्यावरण:

जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए एन.एच.पी.सी. अपनी पर्यावरण जागरूकता के प्रति सजग है। यहाँ तक कि परियोजना निर्माण के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन आदि भी किए जाते हैं और इन्हें

एनएचपीसी की परियोजनाओं पर वनरोपण

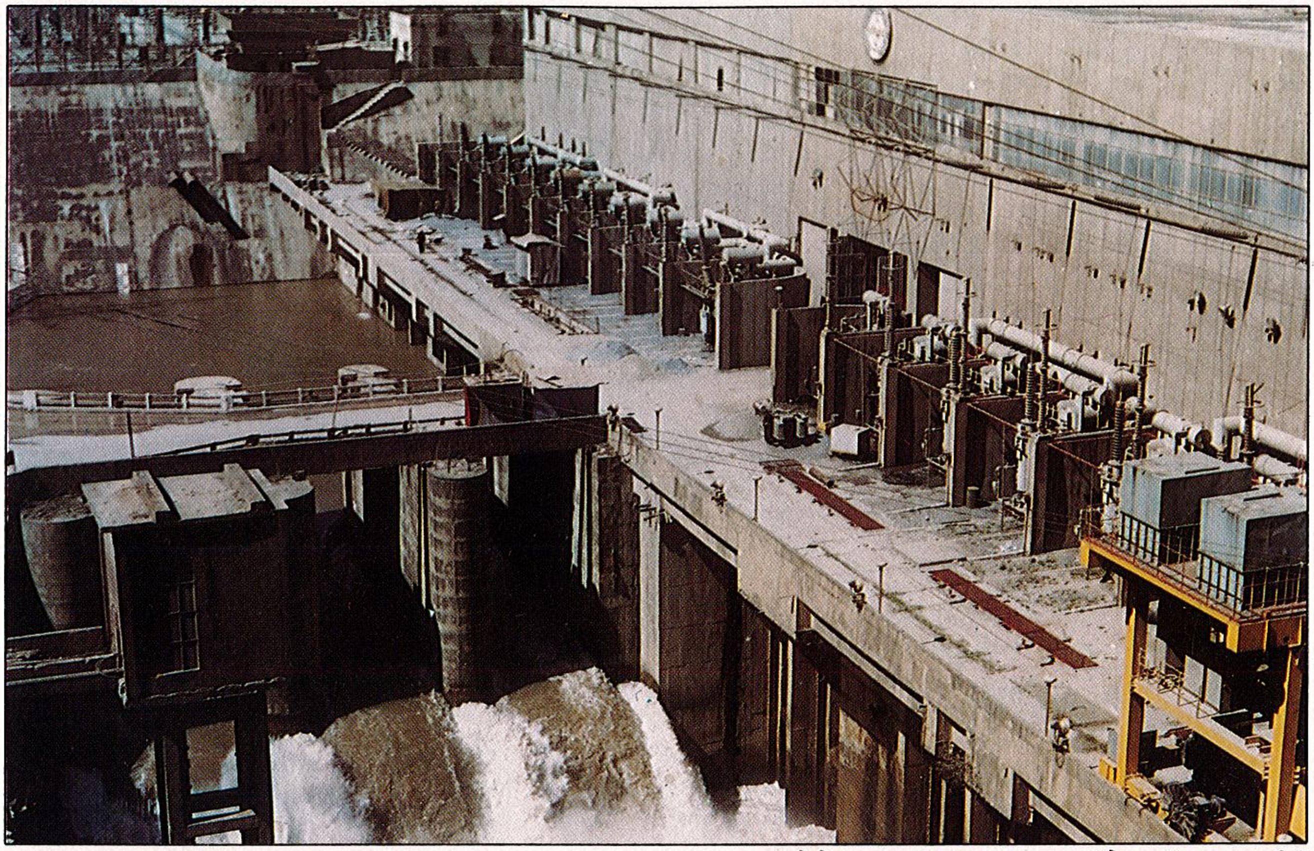

टेलरेस पूल - पावर हाउस, सलाल परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

जागरूकता एवं दिशा-निर्देशन के तौर पर अपनाया है।

एनएचपीसी ने क्षतिपूरक वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं में लगभग 72 लाख पौधे लगाए हैं, जिसमें से 50प्रतिशत हरे-भरे हैं। और इसमें मोनोकल्चर प्लांटेशन के बजाय स्पीशीज प्लांटेशन के चयन पर विशेष ध्यान दिया गया है

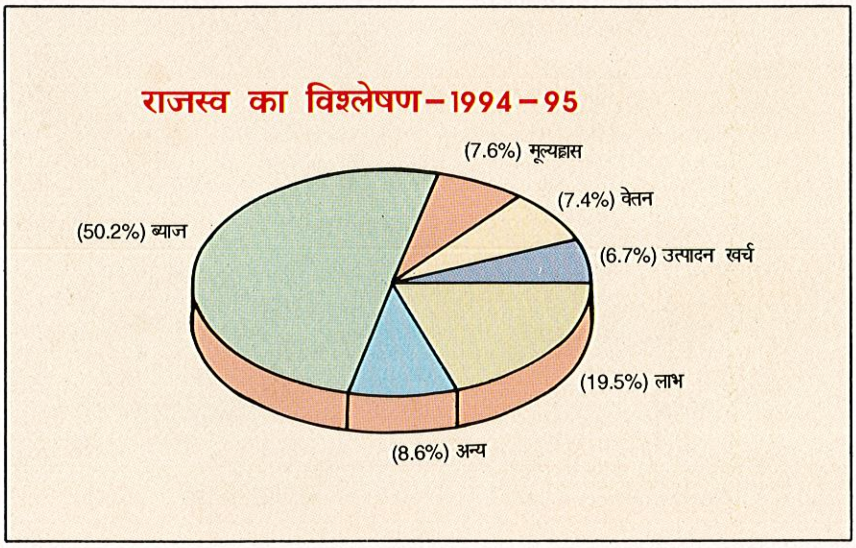

परियोजना से प्रभावित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन एक महत्वपूर्ण पहलू है। चमेरा-I, टनकपुर, उड़ी और रंगित परियोजनाओं में पुनर्वास योजनाओं को लागू किया गया। पुनर्स्थापना पैकेज में निम्नलिखित लाभ शामिल हैं:-

- भूमि, मकान, दुकान और अन्य सम्पत्ति के लिए मुआवजा।
- घर के निकट भूमि आबंटन, उनके वर्तमान परिसर के निकटता को प्राथमिकता देना।
- घरेलू सामान तथा पशु आदि के लिए परिवहन प्रभारें।
- सांत्वना प्रभारें।
- पहुंच सड़क, बिजली, जल आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसी संरचनात्मक सुविधाएं पुनर्वास क्षेत्र में देना।
- उपलब्धता तथा योग्यता के आधार पर निर्भर रोजगार में प्राथमिकता।
- प्रशिक्षण सुविधाएं आदि।

भूमिगत-सर्वेक्षण द्वारा रिमोट सेंसिंग डाटा सप्लीमेंटेड आधार पर बहुत नाजुक क्षेत्रों की पहचान करने के पश्चात जलग्राहय क्षेत्र की मरम्मत के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत जलग्राहय क्षेत्र में विभिन्न

1

बॉयोलॉजीकल तथा इंजीनियरिंग भू-संरक्षण उपाय किए गए हैं। संबंधित राज्य वन विभागों के माध्यम से उड़ी तथा रंगित परियोजनाओं में जलग्राहयु क्षेत्र मरम्मत कार्य पहले ही शुरू कर दिए गए हैं।

एन.एच.पी.सी. ने पर्यावरण, परिस्थितिकी संतुलन और रहन-सहन के स्तर आदि पर चमेरा, बैरास्यूल व सलाल परियोजनाओं के निर्माण के कारण पड़ने वाले अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रभावों आदि पर गहन अध्ययन और परियोजना स्थलों के विशलेषण किए हैं।

12. कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियमावली, 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अनुसार यथासंशोधित सूचना इस रिपोर्ट के अनुबंध-3 में दी गई है।

13. राष्ट्रपति के निर्देश :

सरकार ने बोर्ड स्तर से नीचे के पदों पर कार्यरत अपने कर्मचारियों के लियन की सीमा 3 वर्ष से अधिक न बढ़ाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये आदेश उन्हें कंपनी या अन्य किसी केन्द्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यम में बोर्ड स्तर के पदों पर चयनित करते समय ध्यान में रखे जाएंगे। ये आदेश दिनांक 14.9.94 के आदेश संख्या: 16/33/94-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा जारी किए गए हैं।

निगम ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए विद्युत मंत्रालय के दिनांक 4.9.95 के पत्र संख्या 16/38/95-डी.ओ. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा एन.एच.पी.सी. को दिनांक 1.1.92 से बोर्ड स्तर के अपने अधिकारियों के वेतन संशोधन और अन्य लाभों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। ये दिशा-निर्देश लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(50)/86-डी.पी.ई. (डब्ल्यू सी) दिनांक 19 जुलाई, 1995 के अनुसार जारी किए गए हैं। निगम भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन के लिए कार्रवाई कर रहा है।

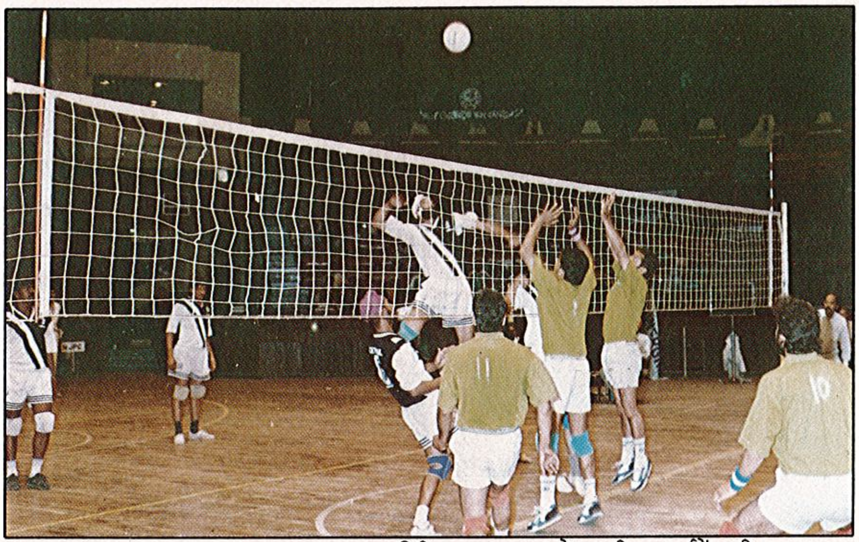

द्वितीय अन्तर-पावर क्षेत्र वालीबाल टूर्नामेंट की एक झलक

14. तकनीकी समावेशन :

निगम ने वर्तमान नई तकनीक के समावेशन/अनुकूलन के लिए तथा उसकी वास्तविकता को बनाए रखने एवं प्लांट व मशीनरी के बेहतर निष्पादन के लिए अत्याधुनिक नई तकनीक का समावेशन किया है।

निगम ने अपने प्रयासों के तहत बहु-आयामी भू-वैज्ञानिक परिस्थितियों के अन्वेषणों को मित्व्ययी तथा तीव्रता से करने में एन.एच.पी.सी. ने विशेषता हासिल कर ली है। कार्य स्थलों के प्रभावी अन्वेषणों के लिए आधुनिक तकनीक तथा कम्प्यूटराइज्ड उपस्कर पद्धति को उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएं विभिन्न संस्थाओं को भी उपलब्ध करा रही है। जैसे पंजाब में सिंचाई विभाग द्वारा शाहपुरकंडी बांध की नींव संबंधी अन्वेषणों में जियोफिजिकल तथा फोनिक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड द्वारा लाइम स्ट्रोन प्रास्पैक्टिंग के लिए निगम की फिजिकल सेवाएं ली जा रही हैं।

निगम द्वारा लोकतक परियोजना में लैंडस्लाइडिंग (भू-स्खलन) संबंधी अध्ययन समय-समय पर किए जा रहे हैं। अपने अध्ययनों की गुणवत्ता को सुदृढ़ बनाने के लिए निगम ने हाल ही में जी.एच.एल.टी. डाटा विश्लेषण पद्धति (एम.आई.टी.आर.ई. कनाडा) को अपनाया है। इस पद्धति को इसलिए अपनाया है ताकि परियोजना स्थलों में होने वाले भूस्खलन आदि की संभावनाओं के विषय में और अधिक कारगर ढंग से अध्ययन किए जा सकें।

15. मानव संसाधन विकास :

यह निगम संगठन के सम्पूर्ण विकास के लिए मानव संसाधन को एक अति महत्वपूर्ण पहलू समझता है। इसे ध्यान में रखते हुए निगम ने मिडिल मैनेजमेंट तथा वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों के लिए संगठन के बदलते

मूल्य वृद्धि की तुलना में बिक्री

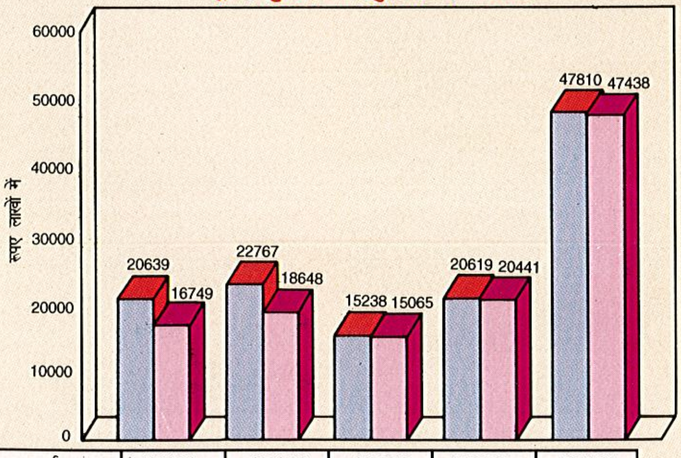

वर्ष	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
बिक्री (रुपए लाखों में)	20639	22767	15238	20619	47810
मूल्यवृद्धि (रुपए लाखों में)	16749	18648	15065	20441	47438

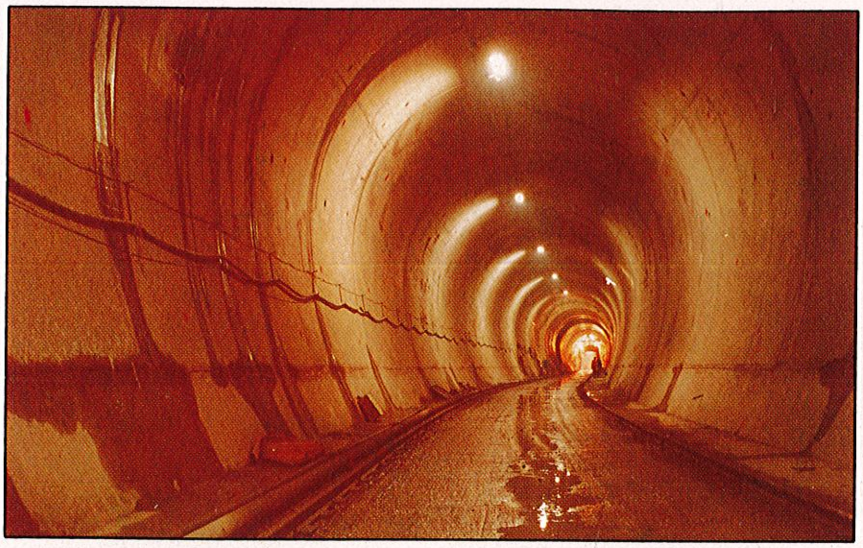

पावर टनल-उड़ी परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

वातावरण में आवश्यक कुशल तथा दक्ष प्रबंधन के उद्देश्य से बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, विभिन्न परियोजनाओं में तकनीकी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे।

वर्ष 1994-95 के दौरान प्रशिक्षण व मानव संसाधन विकास डिवीजन ने 496 कर्मचारियों के लिए 4196 मानव दिवसों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इस प्रकार इस संबंध में निगम तथा भारत सरकार के बीच किए गए समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्य प्राप्त किए गए।

16. कार्मिक नीति व औद्योगिक संबंध :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारी -नियोक्ता संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

निगम अपनी विभिन्न परियोजनाओं के कार्यालयों में अपने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी उपायों/योजनाओं में सुधार, स्कूल की सुविधाएं, चिकित्सा/मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहा है।

निगम दक्ष जनशक्ति के उपयोग की प्राप्ति के लिए री-डिप्लॉयमेंट तथा जॉब रोटेशन से मानव संसाधन के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। अतिरिक्त जनशक्ति में कमी लाने के लिए निगम ने वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू की थी।

श्री मोहिन्द्र सिंह (चमेरा परियोजना) माननीय प्रधानमंत्री से श्रमवीर पुरस्कार प्राप्त करते हुए

17. सतर्कता गतिविधियाँ :

निगम में सतर्कता व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए निगम की लगभग सभी परियोजनाओं में परियोजना सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नए सतर्कता अधिकारियों के लिए निगम मुख्यालय में एक इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा वर्ष के दौरान निगम की रंगित जल विद्युत परियोजना में एक सतर्कता मूल्यांकन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

सतर्कता गतिविधियों को मॉनीटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कार्यक्रम डिज़ाइन किया जा रहा है।

18. राजभाषा कार्यान्वयन नीति :

निगम द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन के प्रयास जारी हैं। राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए निगम मुख्यालय और परियोजनाओं में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी सीखने व कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आरंभ की गईं। निगम के कार्यालयीन हिंदी पत्राचार में भी वृद्धि हुई है।

सितंबर, 1994 के दौरान हिंदी सप्ताह व हिंदी दिवस मनाया गया। कर्मचारियों में कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रतियोगिताएं तथा कार्यशालाएं आयोजित की गईं। अहिंदी भाषी कर्मचारियों को हिंदी सिखाने के लिए हिंदी की कक्षाएं आयोजित की गईं।

संसदीय राजभाषा समिति ने निगम की लोकतक परियोजना का दौरा किया। राजभाषा नीति के क्रियान्वयन की वास्तविक प्रगति का निरीक्षण करने के कार्यक्रम के अंतर्गत एक विभागीय समिति द्वारा निगम मुख्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया गया तथा सुधार के लिए दिशा-निर्देश एवं सुझाव भी दिए गए।

19. समझौता ज्ञापन :

भारत सरकार और एनएचपीसी के बीच दिनांक 14.9.95 को वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौता ज्ञापन के अनुसार एनएचपीसी के लिए 5590 मियू. विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निगम की योजना कुल 539.86 करोड़ रूपए का बिक्री राजस्व और 78.62 करोड़ रूपए का शुद्ध लाभ

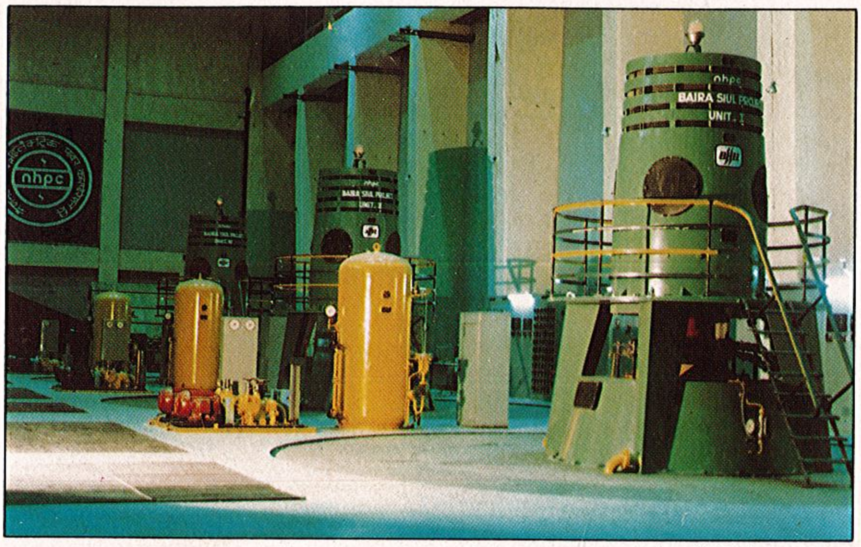

आन्तरिक दृश्य पावर हाउस-बैरास्यूल परियोजना (हि.प्र.)

प्राप्त करने की है।

20. लेखापरीक्षक :

वर्ष 1994-95 के लिए निगम के लेखों की लेखापरीक्षा हेतु मैसर्स सुरेश चन्द्र एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षक और मैसर्स दीवान एंड गुलाटी, दिल्ली, मैसर्स आर.सी. गुप्ता एंड कंपनी, जम्मू तथा मैसर्स डी.पी. सेन एंड कंपनी, कलकत्ता को शाखा लेखापरीक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था।

20 (क) लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

निगम के विभिन्न कार्यों को दर्शाने वाली लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अन्य बातों के साथ-साथ अनुसूची 14 में दी गई है । इसमें विभिन्न नोट तथा उनके स्वत: उत्तर भी शामिल हैं ।

निगम के पास कोई कच्चा माल नहीं है । फिर भी, अयोग्य क्षतिग्रस्त स्टोरों आदि की आवधिक समीक्षा की जाती है और इन मदों के निपटान/समायोजन संबंधी उचित कार्रवाई की जाती ह । आंतरिक लेखापरीक्षा का क्षेत्र और दायरा बढाने के लिए कार्रवाई की जा रही है । इस निगम के आकार और कार्यों को देखते हुए इसे सुदृढ़ और बृहत करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं । भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उन पर निदेशकों के उत्तर अनुबंध-1 में दिए गए हैं ।

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 में दी गई है।

21. निदेशक मंडल :

श्री अजय दुआ ने निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का कार्यभार दिनांक 19.12.94 से श्री एस.आर. नरसिंहन, सदस्य (हाइड्रो), सीईए,. को सौंपा, जो अपने वर्तमान कार्यभार सदस्य(हाइड्रो), सीईए के अलावा निगम के स्थायी अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त होने यानी 19.1.95 तक दोनों कार्यभार साथ-साथ देखते रहे। श्री एस.आर शिवरैन, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, विद्युत मंत्रालय तथा श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य (हाइड्रो), सीईए. और श्री रमेश चन्द्र, सदस्य (डी. एण्ड आर.), सी.डब्ल्यू.सी. को क्रमश: 10.1.95, 12.6.95 तथा 6.9.95 से निगम के अंशकालिक निदेशकों के तौर पर शामिल किया गया।

श्री आर. नटराजन, निदेशक (वित्त), एन.जे.पी.सी. को दिनांक 5.4.95 से एन.जे.पी.सी. के कार्य के अलावा एनएचपीसी के निदेशक (वित्त) का कार्यभार सौंपा गया। श्री नटराजन दिनांक 7.7.95 से निगम के निदेशक (वित्त) नियुक्त किए गए। श्री एन. विश्वनाथन ने दिनांक 1.6.95 से निगम के निदेशक (तकनीकी) का कार्यभार ग्रहण किया। श्री सुधाकर राव, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 12.6.95 से निगम के अंशकालिक निदेशक के तौर पर निदेशक मंडल में शामिल किया गया।

श्री टी सेतुमाधवन के विद्युत मंत्रालय से संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार का कार्यभार छोड़ देने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 10.1.95 से निगम के अंशकालिक निदेशकों में शामिल नहीं किया गया है। श्री अजय दुआ, संयुक्त सचिव, विद्युत मंत्रालय को दिनांक 12.6.95 से निदेशक मंडल में शामिल नहीं किया गया है।

श्री के.के. वोहरा, निदेशक (वित्त) तथा सुश्री इनाक्षी डिवेटिया, निदेशक (तकनीकी) ने क्रमश: 31.3.95 व 31.5.95 से सेवानिवृत्त होने के कारण निगम के निदेशकों का कार्यभार छोड़ दिया है।

श्री ए.बी. जोशी, सदस्य (डी. एंड आर) सी.डब्ल्यूसी के 31.7.95 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उन्हें 6.9.95 से निगम के अंशकालिक निदेशक के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। निदेशक मंडल सर्व श्री अजय दुआ, श्री टी. सेतुमाधवन, श्री के.के. वोहरा, सुश्री इनाक्षी डिवेटिया और श्री ए.बी. जोशी के बहुमूल्य योगदान, मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करता है।

22. आभार :

मैं निदेशक मंडल की ओर से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), योजना आयोग, पर्यावरण व वन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, कम्पनी कार्य विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग के साथ-साथ राज्य सरकारों और क्षेत्रीय तथा राज्य बिजली बोर्डों का उनके मार्ग दर्शन व बहुमूल्य सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

मैं विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के साथ-साथ भारतीय निवेशकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के एनएचपीसी को दिए गए बहुमूल्य सहयोग के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं विभिन्न लाभभोगी बिजली बोर्डों की भी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एनएचपीसी से बिजली खरीदी।

बोर्ड सभी स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए आभारी है, जिनके सहयोग से निगम विद्युत क्षेत्र में पर्याप्त योगदान करने में समर्थ रहा।

निदेशक मंडल के लिए,
की ओर से

एस आर नरसिंहन

(एस.आर. नरसिंहन)
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 19. 02. 1996
फरीदाबाद

31 मार्च, 1995 का तुलन-पत्र

(रुपये लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.			31.3.95			31.3.94
निधियों के स्रोत							
1. हिस्सेदारों की निधियाँ							
(क) पूँजी	1		229524			249908	
(ख) आरक्षित व अधिशेष	2		48192	277716		39825	289733
2. इक्विटी के लिए भारत सरकार के समायोजन योग्य निधियाँ				53746			33340
3. ऋण निधियाँ	3						
(क) आरक्षित ऋण			133386			133333	
(ख) अनारक्षित ऋण			272099	405485		210524	343857
				736947			666930
निधियों का उपयोग :							
1. स्थिर पूँजीगत खर्च							
(क) स्थिर परिसम्पत्तियाँ	4						
सकल ब्लॉक		359780			160399		
मूल्य ह्रास		36983			29124		
शुद्ध ब्लॉक			322797			131275	
(ख) चालू पूँजीगत कार्य	5		338007			314869	
(ग) निर्माण स्टोर व पेशगियाँ	6		22654	683458		136818	582962
2. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां	7						
(क) माल सूचियां		2438			2085		
(ख) विभिन्न देनदार		43104			25080		
(ग) नकद व बैंक शेष		5035			11605		
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियां		671			516		
(च) ऋण व पेशगियाँ		32764	84012		65216	104502	
घटाएं : शुद्ध चालू देयताएं व व्यवस्थाएं							
(क) देयताएं	8	28477			19862		
(ख) व्यवस्थाएं		3109	31586		1128	20990	
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां				52426			83512
3. विविध खर्च (बट्टे खाते या समायोजित न किए गए की सीमा तक)	9			1063			456
				736947			666930
लेखों तथा आकस्मिक देयताओं की टिप्पणियां	14						

अनुसूची 1 से 14 और लेखा-नीतियाँ लेखों का अभिन्न अंग हैं।

एन. सीतारमन
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

एस.आर. नरसिंहन
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 3.2.1996

मधुर गुप्ता
भागीदार

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	अनुसूची सं.		31.3.95		31.3.94
आय					
1. बिक्री		53687		23400	
घटाएं : दर समायोजन के लिए व्यवस्था		5877	47810	2781	20619
2. ढुलाई प्रभारें			241		247
3. विविध आय	10		162		218
कुल आय			48213		21084
खर्च					
1. जनरेशन व प्रशासनिक खर्च	11		3196		1545
2. कर्मचारियों को पारिश्रमिक व लाभ	12		3573		1991
3. ढुलाई प्रभारें			241		247
4. रॉयल्टी			244		439
5. मूल्यह्रास			3653		2304
6. ब्याज			24122		7789
कुल खर्च			35029		14315
लाभ			13184		6769
पूर्व अवधि समायोजन	13		(852)		285
अतिरिक्त सामान्य मदें (पिछले वर्षों से संबंधित दर समायोजन के लिए व्यवस्था)			(2965)		—
पूर्व अवधि और अतिरिक्त सामान्य मदों के बाद वर्ष के लिए लाभ			9367		7054
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष			2371		12
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को हस्तांतरण			2750		4195
प्रस्तावित लाभांश			1000		500
आगे लाया गया आरक्षित व अधिशेष शेष			7988		2371

एन. सीतारमन
सचिव

आर. नटराजन
निदेशक (वित्त)

एस.आर. नरसिंहन
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 3.2.1996

मधुर गुप्ता
भागीदार

शेयर पूंजी

अनुसूची-1

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
प्राधिकृत पूँजी		
250,00,000 (पिछले वर्ष 250,00,000) इक्विटी शेयर, 1000/ रु. प्रति शेयर	250000	250000
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त पूँजी		
1,000 रु. प्रति शेयर की दर से पूर्ण प्रदत्त 22952379 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 24990840) (इसमें 629529 शेयर नकद प्राप्ति के अतिरिक्त अनुबंधों के कंसीड्रेशन के लिए आबंटित कर दिए गए हैं और एक शेयर का आबंटन नकदी के अलावा पार्ट-कंसीड्रेशन के लिए किया गया है)	229524	249908
	229524	249908

रिजर्व व अधिशेष

अनुसूची 2

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व	16859	14109
सामान्य रिजर्व	21000	21000
निवेश भत्ता (उपयोग में लाया गया) रिजर्व	2345	2345
लाभ व हानि लेखा (हानि)	7988	2371
	48192	39825

ऋण निधियाँ

अनुसूची-3

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
आरक्षित ऋण				
बॉण्ड-सी सीरीज				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर, 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन कनवर्टीबल बॉण्ड। इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 मई,1998 है।		15000		15000
बॉण्ड-डी सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर, 27 सितम्बर, 1999 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		21998		21998
अधिसूचित बॉण्डों पर उपचित तथा देय ब्याज		188		135
बॉण्ड-ई सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर, 9 फरवरी, 2000 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		15000		15000
बॉण्ड-एफ सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर, 13 सितम्बर, 1997 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		21500		21500
बॉण्ड-जी सीरीज़				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17.5% पर, 2 दिसम्बर, 1998 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	5000		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर, 21 फरवरी, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	1000		1000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 9 मार्च, 1999 है।)	13000		13000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर 31 मार्च, 2002 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	700	19700	700	19700
अन्य ऋण (यू.टी.आई.)				
(चमेरा जल विद्युत परियोजना की परिसम्पत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)		40000		40000
कुल आरक्षित		133386		133333

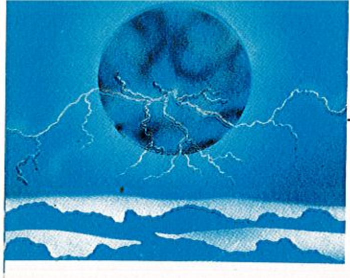

ब्यौरे	31.3.95		31.3.94	
अनारक्षित ऋण				
बॉण्ड-बी सीरीज़				
(पी.जी.सी.आई.एल. के चुखा ट्रांसमिशन सिस्टम की परिसंपत्तियों के लिए साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित)				
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर 11 दिसम्बर, 1994 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		**—**		4978
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9% पर 11 दिसम्बर, 1997 को देय 10 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।		**7835**		7842
उपचित तथा देय ब्याज (सब-जूडिश)		**160**		96
बॉण्ड-एच सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होंगे) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 18% पर 8 अगस्त, 1999 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	**5000**		5000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 30 मार्च, 2000 है)	**2519**	**7519**	2519	7519
बॉण्ड-आई सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होंगे) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 17% पर 4 जनवरी, 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	**80**		80	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 15.5% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 20 जनवरी, 1999 है)	**1000**		1000	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 14% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 24 मार्च, 2001 है)	**19096**		19096	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 10.5% पर 29 मार्च, 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	**10000**	**30176**	10000	30176
बॉण्ड-जे सीरीज़				
(साम्यिक बंधक के माध्यम से आरक्षित होंगे) एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13% पर 1 दिसम्बर, 2001 को देय 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड।	**5000**		—	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 13.25% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 8अक्तूबर, 2001 है)	**15500**		—	
एक-एक हजार रुपए के सममूल्य पर 9.25% पर 7 वर्षीय रिडीमेबल नॉन-कनवर्टीबल बॉण्ड। (इसकी शीघ्रातिशीघ्र शोधन तिथि 15 नवम्बर, 2001 है)	**10000**	**30500**	—	—
उपचित व देय ब्याज		**35**		—

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
भारत सरकार से निधियाँ		47913		51500
सरकारी ऋण पर उपचित तथा देय ब्याज		21448		12068
अन्यों से (भारत सरकार द्वारा गारंटी युक्त)				
1. निर्यात विकास निगम (कनाडा)	41234		45596	
2. चार्टर्ड वेस्ट एल.बी. लिमिटेड द्वारा संचालित सहायता संघ	11482		8624	
3. क्रेडिट कमर्शियल डी ई फ्राँस	18296		15658	
4. ए.बी.एस.ई.के.	54372		21867	
5. एन.आई.बी.	1129	126513	—	91745
अन्य एजेंसियों से ऋण		—		4600
कुल अनारक्षित		272099		210524
जोड़		405485		343857

स्थिर परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची-4

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास	शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.94 को	बढ़ोत्तरी/ समंजन	कटौतियां/ समंजन	31.3.95 को	31.3.95 को	31.3.95 को	31.3.94 को
भूमि फ्रीहोल्ड	4295	422	16	4701	—	4701	4295
भूमि लीज़ होल्ड	1424	123	1	1546	100	1446	1345
भवन	23397	19801	482	42716	5154	37562	19304
सड़कें तथा पुल	5812	1383	1097	6098	997	5101	4924
रेलवे साइडिंग	—	3	—	3	—	3	—
निर्माण संयंत्र व मशीनरी	15677	15036	11047	19666	16681	2985	2490
जनरेटिंग संयंत्र व मशीनरी	22790	61805	—	84595	3142	81453	20526
सब-स्टेशन उपस्कर	767	94	3	858	317	541	495
हाइड्रॉलिक कार्य (बांध, सुरंग आदि)	81530	113013	—	194543	8223	186320	75215
गाड़ियां	1194	26	52	1168	954	214	263
फर्नीचर, फिक्सचर व उपस्कर	826	457	310	973	468	505	412
ट्रांसमिशन लाइनें	1637	128	31	1734	396	1338	1409
विविध परिसंपत्तियां/उपस्कर	1050	253	124	1179	551	628	597
जोड़	160399	212544	13163	359780	36983	322797	131275
पिछले वर्ष	122933	46318	8852	160399	29124	131275	

चालू पूंजीगत कार्य

अनुसूची-5

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
1. सर्वेक्षण, अन्वेषण, परामर्श तथा अन्य खर्चे		644		828
2. भवन व सिविल इंजीनियरिंग कार्य और संचार		22050		11382
3. सड़कें और पुल		1580		1488
4. हाइड्रॉलिक कार्य, बैराज, बांध टनल व पावर चैनल		148898		96577
5. पेनस्टॉक		14736		2448
6. जनरेटिंग स्टेशन में संयंत्र व मशीनरी		47258		22136
7. विद्युत संस्थापनाएं व सब-स्टेशन उपस्कर		305		5648
8. विविध परिसंपत्तियां		6824		6826
9. ट्रंक ट्रांसमिशन लाइनें		106		176
10. भूमि जो निगम से संबंधित नहीं है, पर सृजित परिसंपत्तियों पर खर्च		—		1274
11. **निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च**				
पिछले वर्ष से लाया गया शेष	166086		141768	
वर्ष के लिए जोड़े	50427		38791	
जोड़	216513		180559	
जोड़े (घटाएं) वर्ष के दौरान समायोजित	(120907)		(14473)	
चालू पूंजीगत कार्य में जमा शुद्ध आई.ई.डी.सी.		95606		166086
		338007		314869

निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च

अनुसूची 5 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	5248		4338	
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	522		525	
स्टाफ कल्याण खर्चे	625		705	
छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	24	6419	24	5592
मरम्मत व रखरखाव				
भवन	131		192	
मशीनरी व निर्माण उपस्कर	569		1271	
अन्य	251	951	588	2051
यात्रा व वाहन		104		98
स्टाफ कारों व निरीक्षण वाहनों पर खर्चे		247		341
कार्यालय का किराया		81		127
आवासीय स्थान के लिए किराया		65		65
दरें व कर		361		194
बीमा		86		189
बिजली प्रभारें		162		593
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च		43		68

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
विज्ञापन व प्रचार		35		16
डिजाइन व परामर्श प्रभारें		15		4
मनोरंजन		2		2
छपाई व लेखन सामग्री		34		42
लेखापरीक्षकों को भुगतान				
लेखापरीक्षा शुल्क	2		2	
अन्य मामलों के लिए	1		1	
लेखापरीक्षा संबंधी खर्चे	1	4	1	4
ऋणों पर ब्याज		18173		12652
बॉण्डों पर ब्याज		6515		10040
बॉण्ड जारी करने व ऋण के लिए अप-फ्रंट प्रभारें		—		310
बैंक प्रभारें		13		21
विदेशी ठेकों पर आयकर		2385		1627
बट्टे खाते डाली गई सामग्रियों/परिसंपत्तियों पर हानि		88		27
विदेशी परामर्श प्रभारें		106		87
वायदा शुल्क		105		189
वित्तीय प्रभारें		318		326
विनिमय दर परिवर्तन		2652		65
भूमि पर खर्च, जो निगम की नहीं है		1660		1857
मूल्यह्रास		4541		1697
अनुदान व अन्य अंशदान		—		23
अन्य खर्च (कस्टम शुल्क सहित)		8730		4361
कुल खर्च		53895		42668
घटाएं : प्राप्तियां व वसूलियां				
रद्दी सामग्री की बिक्री		56		97
बिजली प्रभारें		422		119
किराया		26		3
ब्याज :				
आवधिक जमा		278		96
ऋण व पेशगियां		115		157
अन्य निवेश		—		38
विविध प्राप्तियां व वसूलियां		392		534
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		—		7
कुल प्राप्तियां		1289		1051
शुद्ध खर्च		52606		41617
घटाएं				
1. सी.डब्ल्यू.आई.पी. को बिना बारी के आबंटित/सीधे तौर पर आबंटित किराया प्रभारें	743		2587	
2. अन्वेषण, डिपाजिट, ऐजेंसी कार्य और संचालित परियोजनाओं को आबंटित आई.ई.डी.सी.	541		239	
3. सिक्किम सरकार को हस्तान्तरित तीस्ता परियोजना को आबंटित आई.ई.डी.सी.	69		—	
4. विविध खर्चे में हस्तान्तरित वायदा शुल्क	826	2179	—	2826
		50427		38791

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94

टिप्पणी :

1. (क) उपर्युक्त खर्च में निदेशकों को अदा की गई निम्नलिखित राशियां शामिल हैं

	1994-95	1993-94
	(रुपए)	(रुपए)
i) वेतन व भत्ते	460996	409794
ii) भविष्य निधि अंशदान	43978	39361
iii) आवासीय स्थान के लिए किराया	207155	166184
iv) यात्रा खर्च	744168	164259
v) चिकित्सा प्रतिपूर्ति	181101	34386
vi) छुट्टी यात्रा रियायत	24446	—

(ख) सरकारी मंजूरी की शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को गैर ए.सी. कार के लिए 250/- प्रतिमास और ए.सी. कार के लिए 400/- प्रतिमास की अदायगी पर 1000 कि.मी. तक की सरकारी और निजी यात्राओं के लिए कंपनी की कार के प्रयोग की अनुमति दी गई थी।

निर्माण स्टोर व पेशगियां

अनुसूची-6

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
1. निर्माण स्टोर				
(प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)				
ट्रॉंजिट में निर्माण सामान	265		249	
स्टोर	6794	7059	7609	7858
2. पूँजीगत खर्च के लिए पेशगी				
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)	749		114682	
अनारक्षित (क) कंसीडर्ड गुड	14846		14278	
(ख) संदेहास्पद	—		—	
(ग) घटाएं : संदेहास्पद के लिए प्रावधान	—	15595	—	128960
		22654		136818

कंपनियां, जिनमें निगम का कोई निदेशक, एक निदेशक या एक सदस्य है, द्वारा शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) पेशगी देय है।

चालू परिसंपत्तियां, ऋण व पेशगियां

अनुसूची-7

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे				31.3.95		31.3.94
चालू परिसंपत्तियां						
1. माल सूचियां (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लागत पर)						
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जे			2437		2083	
अतिरिक्त औजार			1	2438	2	2085
2. विविध देनदार (अनारक्षित)						
छः मास से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण			44279		25152	
अन्य ऋण			17078		9251	
घटाएं : व्यवस्थाएं			18253	43104	9323	25080
विविध देनदारों के ब्यौरे (अनारक्षित)	**1994-95**	1993-94				
कंसीडर्ड गुड	43104	25080				
संदेहजनक समझे गए	18253	9323				
3. नकद और बैंक शेष						
नकदी, अग्रदाय, चैक, ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर एवं डाक टिकटें			70		402	
अनुसूचित बैंकों का शेष						
चालू खाता			2429		7931	
अनुसूचित बैंकों में जमा			—		902	
गैर अनुसूचित बैंकों में शेष						
(स्कनडिनविस्का एनस्किल्डा बैंकन)						
चालू खाता			2433		2370	
(बैंक ऑफ भूटान में)						
चालू खाता			3		—	
सावधिक जमा			100	5035	—	11605
	वर्ष के दौरान अधिकतम शेष					
स्कनडिनाविस्का एनस्किल्डा बैंकन	**1994-95**	1993-94				
चालू खाता	2699	8668				
बैंक ऑफ भूटान						
चालू खाता	3	—				
सावधिक जमा	100	—				
4. अन्य चालू परिसम्पत्तियां						
जमा राशियों पर उपचित ब्याज			358		96	
अन्य			313	671	420	516
5. ऋण व पेशगियां						
नकद या माल अथवा प्राप्त होने वाले मूल्य के रूप में वसूली योग्य पेशगियां						
आरक्षित (कंसीडर्ड गुड)			3		10	
अनारक्षित (कंसीडर्ड गुड)			3063		2927	
अनारक्षित (संदेहजनक)			128		94	
घटाएं संदेहजनक के लिए व्यवस्था			128	3066	94	2937
कर्मचारियों को ऋण (आरक्षित)				449		413
भारत सरकार का सार्वजनिक जमा खाता				4		7474
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि.				29245		54392
				84012		104502

निदेशकों द्वारा देय पेशगी शून्य रुपए (पिछले वर्ष शून्य रुपए) वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम देय राशि 3.01 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1.27 लाख रुपए)

चालू देयताएं और व्यवस्थाएं

अनुसूची-8

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
देयताएं				
विविध लेनदार	7326		5956	
डिपॉजिट/एजेंसी की खर्च न की गई राशि	332		277	
जमा/रिटेंशन राशि	3245		737	
अन्य देयताएं	4007		3025	
ऋण पर उपचित ब्याज लेकिन देय नहीं	13545		9849	
जारी किए गए चैकों के लिए देयता	22	28477	18	19862
व्यवस्थाएं				
प्रस्तावित लाभांश	1000		500	
ग्रेच्युटी	829		628	
बकाया वेतन	1280	3109	–	1128
		31586		20990

ऋणों पर उपचित ब्याज परन्तु जो अभी देय नहीं, में शामिल है : बी-सीरीज़ संचयी बॉण्डों पर 302 लाख रुपए (पिछले वर्ष 525 लाख रुपए) जो बॉण्डों की परिपक्वता (मैच्योरिटी) पर दिए जाने हैं।

एजेंसी आधार पर जमा कार्य और परियोजनाओं का विवरण

अनुसूची-8 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95 तक जमा राशि	31.3.94 तक किया गया खर्च	1.4.94 से 31.3.95 तक किया गया खर्च	31.3.95 तक किया गया कुल खर्च	खर्च न की गई राशि
क. डिपॉजिट कार्य					
ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटें					
1. गंगटोक से मेल्ली कालपोंग	424	421	–	421	3
2. गंगटोक से दिक्चू					
3. लीमातक-जिरीबाम	472	454	–	454	18
4. रामनगर-गंडक	177	158	–	158	19
ख. एजेंसी आधार पर परियोजनाएं					
1. देवीघाट परियोजना	4069	4039	–	4039	30
2. त्रिसूली पावर रिसोर्सिस इन. वर्क्स	5	6	–	6	–1*
3. सलाकती	1366	1345	1	1346	20
4. कालपोंग जल विद्युत परियोजना	51	26	0	26	25
5. कुरिचू अन्वेषण	220	78	86	164	56

टिप्पणी : ट्रांसमिशन कंस्ट्रक्शन यूनिटों और एजेंसी आधार पर परियोजनाओं पर होने वाला खर्च केवल नकद खर्च ही दर्शाता है और इसमें उपार्जित (प्राप्त) खर्च शामिल नहीं होता यद्यपि खर्च के अंतर्गत सप्लायरों और ठेकेदारों को दी गई पेशगी, जमाएं और उपयोग न किया गया भण्डार शामिल होता है।

*चालू परिसम्पत्तियों, ऋण और पेशगी शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया है।

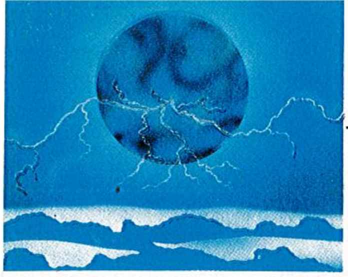

सहायता-अनुदान

अनुसूची-8 का अनुबंध

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
जल विद्युत परियोजना के अन्वेषण के लिए सहायता-अनुदान				
1. चमेरा (अन्वे.)	336		336	
2. धालेश्वरी	167		167	
3. धौलीगंगा	592		592	
4. गौरीगंगा चरण-I	238		238	
5. गौरीगंगा चरण-II	161		161	
6. गौरीगंगा चरण-III	130		130	
7. किशनगंगा	252	1876	252	1876
घटाएं : खर्च				
1. चमेरा (अन्वे.)	300		300	
2. धालेश्वरी	199		199	
3. धौलीगंगा I	310		310	
4. धौलीगंगा II	230		230	
5. गौरीगंगा चरण I	221		221	
6. गौरीगंगा चरण II	159		159	
7. गौरीगंगा चरण III	179		179	
8. किशनगंगा	198		198	
9. बराह पम्प स्टोरेज योजना	30		30	
	1826		1826	
घटा : ''ऋण और पेशगियां'' शीर्षक के अंतर्गत चालू परिसम्पत्तियों में दिखाई गई प्राप्तियों से अधिक अन्वेषण कार्य पर हुआ खर्च	111	1715	111	1715
सहायता-अनुदान की खर्च न की गई राशि		161		161

विविध खर्च

अनुसूची-9

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे		31.3.95		31.3.94
बट्टे खाते न डाले गए या समंजन न किए गए की सीमा तक विविध खर्च				
निगम की स्वामित्व-रहित परिसंपत्तियों पर खर्च		26		32
बट्टे खाते की मंजूरी की प्रतीक्षा संबंधी हानियां	613		568	
घटाएं : प्रदान किए गए	613	—	567	1
आस्थगित राजस्व खर्च		1037		423
		1063		456

विविध आय

अनुसूची-10

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
अन्य विविध प्राप्तियाँ	125	103
देयताएं जो पुनः अपेक्षित नहीं	2	1
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	35	114
	162	218

जनरेशन और प्रशासनिक खर्च

अनुसूची-11

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
क. जनरेशन खर्च		
स्टोर व अतिरिक्त पुर्जों की खपत	372	178
मरम्मत एवं रख-रखाव		
क) भवन	107	56
ख) मशीनरी	352	119
ग) अन्य	428	252
अन्य प्रचालनात्मक खर्चे	193	122
आस्थगित राजस्व खर्च के बट्टे खाते डाली गई राशि	316	125
ख. प्रशासनिक खर्चे		
किराया	5	1
दरें व कर	4	3
बीमा	66	10
बिजली प्रभारें	56	21
यात्राएं व वाहन	64	33
स्टाफ कारों पर खर्च	163	97
टेलीफोन, टेलेक्स व डाक खर्च	40	14
विज्ञापन व प्रचार	9	4
मनोरंजन खर्च	1	—
छपाई व लेखन सामग्री	21	10
परामर्श प्रभार	1	—
निगम मुख्यालय में प्रबंधन खर्च	537	234
परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	6	9
शीघ्र भुगतान पर छूट	82	74
अन्य विविध खर्च	373	182
सन्देहास्पद पेशगियों के लिए व्यवस्था	—	1
	3196	1545

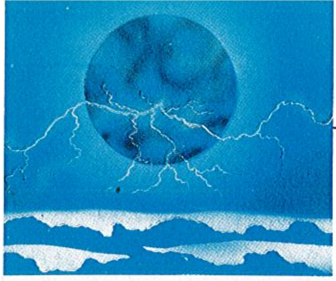

कर्मचारियों को पारिश्रमिक और लाभ

अनुसूची-12

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
वेतन, मजदूरी व भत्ते	2784	1576
ग्रेच्युटी और भविष्य निधि में अंशदान (प्रशासन फीस सहित)	331	215
स्टाफ कल्याण खर्चे	458	200
	3573	1991

पूर्व-अवधि समंजन

अनुसूची-13

(रुपए लाखों में)

ब्यौरे	31.3.95	31.3.94
1. बिजली की बिक्री	(128)	315
2. ब्याज	(557)	—
3. मूल्यह्रास	(4)	(1)
4. रॉयल्टी	(24)	—
5. वेतन व मजदूरी	8	(9)
6. मरम्मत व रखरखाव	(2)	(11)
7. अन्य विविध	(145)	(9)
	(852)	285

लेखों पर टिप्पणियां

अनुसूची-14

1. **आकस्मिक देयताएं :**

(क) निगम के विरुद्ध दावे की राशि 96936 लाख रुपए बनती है, जिसे ऋण के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है (पिछले वर्ष 47166 लाख रुपए थी)।

(ख) दुलहस्ती और उड़ी परियोजनाओं के ठेकेदारों द्वारा कस्टम ड्यूटी का भुगतान किए बिना आयात किए गए निर्माण मशीनरी व कलपुर्जों (स्पेयर्स) के पुनः निर्यात के लिए निगम द्वारा कस्टम प्राधिकारियों को 7693 लाख रुपए (पिछले वर्ष 4701 लाख रुपए) की कीमत के बॉण्ड निष्पादित किए गए।

2. पूंजी लेखों पर निष्पादित होने वाले ठेके संबंधी शेष खर्चों की अनुमानित राशि की व्यवस्था नहीं की गई है, जो 84376 लाख रुपए बनती है (पिछले वर्ष 137506 लाख रुपए)।

3. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड-एडजेस्टेबल टू इक्विटी' में सलाल परियोजना चरण-i के लिए भारत सरकार से अंशदान के रूप में प्राप्त 33160 लाख रुपए (पिछले वर्ष 33160 लाख रुपए) की राशि व उस पर प्राप्त ब्याज शामिल है।

4. विद्युत मंत्रालय तथा एन.सी.ई.एस. का दिनांक 9.2.89 तथा 12.7.91 का पत्र सं. 4/1/78-डी.ओ. (एनएचपीसी) के अनुसार सलाल जल विद्युत परियोजना चरण-i नवम्बर, 1987 में निगम को हस्तांतरित की गई है। हस्तांतरण के लिए कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने तक इस परियोजना के लेखे निगम के लेखों में निगमित किए गए हैं। इसके लिए उन्हीं नियमों व शर्तों को ध्यान में रखा गया है, जिनका भारत सरकार द्वारा अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में पालन किया गया था।

परियोजना के निर्माण के लिए सरकार से प्राप्त कुल फण्ड में से 29764 लाख रुपए की राशि, परियोजनाओं की अनुमानित संशोधित लागत के प्रथम 50 प्रतिशत को भारत सरकार से निवेश के तौर पर इक्विटी हिस्सा पूंजी के निर्गम द्वारा समायोजित मानी गई है और अलग-अलग तारीखों पर ली गई शेष राशि उस तारीख से सरकार की नीति के अनुसार प्रचलित दर पर ब्याज देने वाले ऋण के रूप में मानी गई है। निर्माण अवधि के दौरान निवेश की ऐसी ऋण राशि पर उपचित ब्याज को भी पूंजीकृत कर दिया गया है और उसके 50 प्रतिशत हिस्से को इक्विटी पूंजी के निर्गम के रूप में समायोजित मान लिया गया है और शेष को ऋण के रूप में। इक्विटी पूंजी के निर्गम द्वारा समायोज्य राशि और उपरोक्त आधार पर निकाली गयी ऋण की राशि क्रमशः 33160 लाख रुपए और 31070 लाख रुपए बनती है।

शर्तों का निपटान लंबित होने पर अतिरिक्त ब्याज 8833 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7642 लाख रुपए) की राशि को ऋण और ब्याज की गैर अदायगी में रखा गया है।

5.1 विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अपेक्षित दर निर्धारण और अधिसूचना का मामला लंबित होने के कारण बिक्री की गणना पिछले वर्षों की तरह अनंतिम दरों पर की गई थी। फिर भी, अन्य साधारण मद शीर्षक (दर समायोजन के लिए प्रावधान) के अंतर्गत अप्रैल, 1991 से मार्च, 1994 की अवधि के दौरान आने वाले 29.65 करोड़ रुपए सहित 89.30 करोड़ रुपए की पर्याप्त व्यवस्था की गई है जो के.पी. राव समिति की सिफारिशों के आधार पर बिल में लगाई गई राशि और दर के बीच में अधिसूचित किए जाने वाले अंतर के लिए होगी।

5.2 ऐसी अवधि के लिए बस-बार आधार पर बिजली की गणना की गई है जबकि बड़े स्तर पर बिजली की बिक्री से संबंधित लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

5.3 भारत सरकार के निदेशानुसार कुल उत्पादित बिजली का 12% भाग रॉयल्टी के रूप में लोकतक, बैरास्यूल तथा सलाल चरण-1 जल विद्युत परियोजना को दिनांक 5.9.94 से तथा चमेरा और टनकपुर परियोजना में रहने वाले लोगों को परियोजना के चालू होने की तारीख से निःशुल्क दिया जाएगा। फिर भी, इससे निगम के लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. (i) पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के (अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) अधिनियम, 1993 के अनुसार नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. और नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. की ट्रांसमिशन लाइनों से सम्बद्ध परिसम्पत्तियां तथा देयताएं दिनांक 1.4.1992 से भारत सरकार को सौंप दी गई है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित हस्तांतरण के लिए समायोजनों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(क) "पूंजी" तथा इक्विटी में समायोजन योग्य राशि को कम करके क्रमशः 203.85 करोड़ रुपए और 1.80 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

(ख) भारत सरकार से मिलने वाले ऋण को 104.01 करोड़ रुपए तक कम कर दिया गया है।

(ग) ट्रांसमिशन लाइनों से संबंधित 212.16 करोड़ रुपए की कुल राशि के ऋण और अन्य देयताओं के हस्तांतरण के लिए आवश्यक समायोजन, भारत सरकार तथा पी.जी.सी.आई.एल. के साथ अंतिम कार्रवाई होने के बाद किए जाएंगे।

औपचारिकताएं पूरी न होने के कारण, उपर्युक्त (ग) में दी गई राशि को पी.जी.सी.आई.एल./भारत सरकार से वसूली योग्य राशि में दिखाया गया है।

(ii) जम्मू व कश्मीर राज्य की ट्रांसमिशन लाइनों को दिनांक 1.4.93 से 64.42 करोड़ रु. की अस्थायी राशि पर पी.जी.सी.आई.एल. को

हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसमें भारत सरकार के ऋण पर अतिरिक्त ब्याज की देयता शामिल नहीं है।

(iii) उत्पादन और ट्रांसमिशन के बीच विनियोजन के आधार का निर्धारण लंबित होने के कारण लाभभोगियों से प्राप्त राशि को निगम के बकाया समायोजन में विनियोजित कर दिया गया है।

7. कुछ मामलों में भूमि की लागत मुआवजे की अनन्तिम/प्रारंभिक अदायगी और प्रासंगिक खर्चों का समंजन, यदि कोई हो, अंतिम मुआवजा निर्धारित करते समय किया जाएगा। कुछ मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने से भूमि का स्वामित्व निगम को नहीं सौंपा गया है।

8. चमेरा-I और सलाल-II की दूसरी यूनिट को क्रमशः दिनांक 1 मई, 1994 और 23 मई, 1994 से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए घोषित कर दिया गया है। तदनुसार, परियोजना के संचालन से पहले की अवधि के दौरान हुई बिजली की बिक्री और संचालनात्मक खर्चों को निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) में रखा गया है।

9. **उड़ी जल विद्युत परियोजना :**

(i) उड़ी जल विद्युत परियोजना टर्नकी आधार पर ठेकेदारों द्वारा निष्पादित की जा रही है। यह ठेका देने से पहले निगम ने कुछ काम पूरे कर लिए हैं। ठेकेदारों के साथ समझौता लंबित होने के कारण कोई वसूली नहीं की गई है।

(ii) पूंजीगत कार्य प्रगति में 1671.19 करोड़ रुपए की कीमत तक के कार्य शामिल हैं,जो कि इससे पहले के वर्षों में असावधानी के कारण 'ठेकेदारों को पेशगी' शीर्षक के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

(iii) जम्मू-कश्मीर में स्थिति अव्यवस्थित होने के कारण 132 लाख रुपए (पिछले वर्ष 505 लाख रुपए) मूल्य के पूंजी निर्माण भंडारों का वित्तीय बहियों के साथ समाधान नहीं किया जा सका है। खपत, प्राप्तियां, कमी/वृद्धि सहित समायोजन, यदि कोई हो, भंडार से समाधान के समय किए जाएंगे।

(iv) निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च के अंतर्गत अन्य खर्च शीर्षक में दिखाई गई 7507 लाख रुपए की कस्टम ड्यूटी को पूरे ब्यौरे प्राप्त न होने के कारण संबद्ध परिसम्पत्तियों में आबंटित नहीं किया जा सका है।

10. **चमेरा जल विद्युत परियोजना :**

(i) सामान्य बही शेष के साथ प्राइज़्ड स्टोर बही का समाधान करने के बाद आने वाले अंतर के 137.49 लाख रुपए (शुद्ध क्रेडिट) को निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) में समायोजित किया गया है। राशि में यह अंतर निर्माण के दौरान प्रारंभिक रूप से मिसमैचिंग और विनिमय दर में परिवर्तन के कारण आया था।

(ii) निर्माण अवधि के दौरान कमियां/हानियां आदि दिखाने वाली कुल 486.83 लाख रुपए की अन्वेषण संबंधी हानियां लंबित हैं। प्रत्येक मामले की उपयुक्त स्तर पर जांच की जा रही है। फिर भी इस संबंध में पूरी व्यवस्था की गई है।

(iii) ठेकेदारों के बिलों का पुनः समाधान/निपटान किया जा रहा है। लंबित निपटान, देयताओं का इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्रमाणित विश्लेषित दरों पर निपटान किया गया है। ठेकेदारों द्वारा किए गए जो दावे प्रबंध वर्ग के अनुसार मान्य नहीं हैं उन्हें 'आकस्मिक देयता' शीर्षक के अंतर्गत दिखाया गया है।

11. (i) फ्रेंच कंसोर्टियम के ठेकेदारों ने दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना का कार्य रोक दिया है। इस परियोजना पर कार्य पुनः आरंभ करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है और समझौता संबंधी देयता, यदि कोई हो तो, जो अनिश्चित हैं, नहीं दी जाएगी।

(ii) आवासीय भवन (सेमी परमानेंट) और क्लब भवन, जिनकी कीमत क्रमशः 167.21 लाख रुपए और 18.55 लाख रुपए है, का कार्य प्रगति पर है। भवन के पूरा होने से संबंधित प्रमाणपत्र का मामला लंबित है।

12. कुछ परियोजनाओं के ठेकेदारों को दी गई माल सामग्री, पूंजीगत खर्चों के लिए पेशगियों, विविध देनदार, ठेकेदारों को पेशगियों, विविध लेनदार, ठेकेदारों से जमाएं/उपचित राशि समाधान और पुष्टिकरण के अधीन है। समायोजन, यदि कोई हो, समाधान/पुष्टिकरण के समय किया जाएगा।

13. डेबिट और क्रेडिट से संबंधित कुछ पुरानी प्रविष्टियां बैंक में समाधान के लिए बकाया हैं जिनसे 188 लाख रुपए का शुद्ध क्रेडिट होगा। इसके समाधान/समायोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

14. निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च शीर्षक के अंतर्गत दिखाई गई विनिमय दर अंतर में उड़ी परियोजना के 53.03 करोड़ रुपए शामिल नहीं हैं। इसे सीधे चालू पूंजीगत कार्य में डेबिट किया गया है।

15. ए और बी सीरीज़ के बॉण्डों का ब्याज और रिडम्पशन राशि का भुगतान करने के संबंधित विशेष लेखों का बैंकों से पूरा ब्यौरा प्राप्त न होने के कारण बैंक के खातों का समाधान नहीं किया जा सका है।

16. निगम ने वर्ष 1994-95 के लिए पॉलिसी संख्या-5 में दिए गए मूल्यह्रास का भुगतान करने के बाद 10 करोड़ रुपए की राशि का लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। सिंचाई व विद्युत मंत्रालय (विद्युत विभाग) के दिनांक 1 जून, 1985 के पत्र संख्या 25 (10/84 -डी (एस.ई.बी.) के अनुसार विधि

मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बाद विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार मूल्यह्रास का भुगतान करने के बाद ही लाभांश की अदायगी की जाएगी।

17. जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी के नियमित न रहने के बाद से अनुमानित आधार पर ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान बनाया जा रहा है।

18. दिनांक 11 अक्तूबर, 1995 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लेखे तथा लेखों की टिप्पणियों सहित 12 अक्तूबर, 1995 को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अनुसार भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधन के परिणामस्वरूप, तुलनपत्र और लाभ व हानि लेखों में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :

1. लाभांश 94.84 करोड़ रुपए के स्थान पर 93.67 करोड़ रुपए हो गया है।
2. ऋण निधि 3993.30 करोड़ रुपए से बढ़कर 4054.85 करोड़ रुपए हो गई है।
3. स्थिर, परिसम्पत्तियां 3229.49 करोड़ रुपए के स्थान पर घटकर 3227.97 करोड़ रुपए हो गई है।
4. पूँजीगत कार्य प्रगति पर, की लागत 3387.74 करोड़ रुपए से घटकर 3380.07 करोड़ रुपए हो गई है।
5. चालू परिसम्पत्तियां, ऋण व पेशगियां 841.17 करोड़ रुपए से घटकर 840.12 करोड़ रुपए हो गई है।
6. चालू देयताएं व व्यवस्थाएं 379.87 करोड़ रुपए से घटकर 315.86 करोड़ रुपए हो गई हैं।
7. विविध खर्चे (समायोजित व राइट आफ न किए गए की सीमा तक) 4.02 करोड़ रुपए से बढ़कर 10.63 करोड़ रुपए हो गए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त संख्या 1 बी, 5.1, 13 व 21 में पर्याप्त संशोधन किए गए हैं।

19. संचालित परियोजनाओं के संचालन व रख-रखाव के लिए स्टोरों को (जहां इन स्टोरों का मूल्यांकन नहीं दिया गया है) खर्चे में दर्शाया गया है।

20. **मात्रात्मक विवरण :**

		1994-95	1993-94
i)	लाइसैंसीकृत क्षमता (मेगावाट)	लागू नहीं	लागू नहीं
ii)	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	1538	865
iii)	वास्तविक उत्पादन (मि.यू.)	6058	3587
iv)	वास्तविक बिक्री (मि.यू.) (12% निःशुल्क बिजली छोड़कर)	5416	3442

			1994-95 रु. लाखों में	प्रतिशत	1993-94 रु. लाखों में	प्रतिशत
21.	(क)	सी.आई.एफ. आधार पर आयातित पूंजीगत संयंत्र व मशीनरी और पुर्जों की कीमत	49250		23772	
	(ख)	विदेशी मुद्रा में खर्च				
		i) जानकारी	7946		1749	
		ii) ब्याज	8236		7203	
		iii) अन्य विविध मामले	603		756	
	(ग)	चालू परियोजनाओं में उपयोग में लाये गये अतिरिक्त पुर्जों व अवयवों का मूल्य				
		i) आयातित	125	24	—	
		ii) देशी	394	76	178	100

22. आयकर की देयताओं के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई क्योंकि कर योग्य आय की गणना नहीं की गई है।

23. पिछले वर्षों के आंकड़ों का पुनः एकत्रीकरण/पुनः मिलान किया गया है और जहां आवश्यक है वहां चालू वर्ष के आंकड़ों से भी मिलान किया गया है।

एन. सीतारमन	**आर. नटराजन**	**एस.आर. नरसिंहन**
सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक

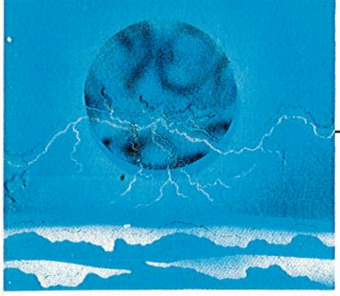

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा पद्धति

1.1 वित्तीय सारणियां पूर्ववर्ती लागत आधार पर तैयार की जाती हैं।

1.2 परामर्शी सेवाओं से हुई आय और देनदारों से वसूली योग्य अधिभार के मामलों को छोड़कर, राजस्व और खर्च सामान्यतः एक्रूअल आधार पर लेखे में दर्शाए गए हैं।

2. स्थिर परिसम्पत्तियां :

2.1 स्थिर परिसम्पत्तियों का निर्धारण अर्जन/निर्माण की लागत के आधार पर किया गया है। फिर भी, जहां ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों के जमा न होने/समायोजन के अभाव में वास्तविक लागत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, उन्हें अनुमानित लागत के आधार पर दर्शाया गया है। स्थिर परिसम्पत्तियों के लिए बाहरी एजेंसियों से प्राप्त हिस्सा, यदि कोई हो, तो उसे शुद्ध रूप में दर्शाया गया है।

2.2 निगम की स्वामित्व रहित भूमि पर सृजित स्थिर परिसम्पत्तियों को स्थिर परिसम्पत्तियों के अंतर्गत ही दर्शाया गया है।

2.3 भूमि के मुआवजे और अन्य खर्चों के संबंध में अनंतिम रूप से किए गए भुगतानों को भूमि की लागत के रूप में दर्शाया गया है।

2.4 परियोजनाओं में सहायता अनुदान/एजेंसी अथवा जमा आधार पर खरीदी/सृजित परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्तियों में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इसका स्वामित्व अधिकार निगम के पास नहीं है।

3. चालू पूंजीगत कार्य :

3.1 निर्माणाधीन परियोजनाओं में सामान्य सार्वजनिक सुविधाओं के रख-रखाव और उत्थान आदि पर हुए खर्च को 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च' में डाला गया है।

3.2 वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने पर 'निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च' की पूरी राशि, भूमि को छोड़कर, अचल परिसम्पत्तियों में डाली गई है।

4. विविध खर्च :

वाणिज्यिक संचालन शुरू होने के बाद निगम की स्वामित्व रहित परिसम्पत्तियों पर हुआ खर्च 5 वर्ष से अधिक अवधि के बाद बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन :

5.1 लीज़ होल्ड भूमि की किस्तों को लीज़ की अवधि के आधार पर परिशोधित किया गया है।

5.2 बिजली उत्पादन/ट्रांसमिशन और उसके संचालन के लिए उपयोग में आने वाली परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 68 की उपधारा 1 के अंतर्गत परिसम्पत्तियों को उपयोग में लाए जाने वाले वर्ष के बाद से निर्धारित दरों पर सीधे तौर पर चार्ज किया जा रहा है।

5.3 उपर्युक्त निर्दिष्ट परिसम्पत्तियों के अलावा अन्य परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित दरों के अनुसार प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाता है।

5.4 ऐसी परिसम्पत्तियां, जिनकी वास्तविक लागत/डब्ल्यू.डी.वी. 5000/- रुपए या इससे कम है, वर्ष के प्रारंभ में पूरी तरह बट्टे खाते डाली गई हैं।

5.5 फालतू घोषित निर्माण उपस्करों पर कोई मूल्यह्रास नहीं दिया गया है।

6. माल-सूचियों का मूल्यांकन :

6.1 स्टोर तथा अतिरिक्त पुर्जों का मूल्यांकन लागत के अनुसार किया गया है।

6.2 उपयोग योग्य/अतिरिक्त औजारों के किसी एक वस्तु की लागत 5000/- रुपए या इससे कम लागत को उपभोग लेखे में डाला गया है। अन्य मामलों में 5 वार्षिक बराबर किस्तों में लागत को बट्टे खाते डाला गया है।

7. विनिमय अस्थिरता :

विदेशी मुद्रा ऋणों को वर्ष के अंत में लागू विनिमय दरों के अनुसार रूपांतरित/परिवर्तित किया गया है। पूंजीगत परिसम्पत्तियों के मामले में इसके अंतर को चालू पूंजीगत कार्य/स्थिर परिसम्पत्तियों में डाला गया है। चालू परिसम्पत्तियों के मामले में लाभ को विदेशी मुद्रा अस्थिरता आरक्षित में डाला गया है और हानि के मामले में आरक्षित निधि की सीमा में न ली गई राशि को राजस्व में डाला गया है।

8. विविध :

8.1 मार्गस्थ माल/निष्पादित पूंजीगत कार्य, जो प्रमाणित नहीं किए गए हैं, के लिए देयताएं नहीं दी गई हैं, क्योंकि इनका निरीक्षण और स्वीकार करने का काम निगम को करना है।

8.2 संचालित परियोजनाओं से निर्माणाधीन परियोजनाओं को दी जाने वाली बिजली की दरें सामान्य दर के अनुसार चार्ज की जा रही हैं।

8.3 पूर्व अवधि समायोजन केवल उन संचालनाधीन परियोजनाओं के मामले में किए गए हैं, जिनमें लगी राशि प्रत्येक मामले में 5000/- रुपए से अधिक है।

9. निगम मुख्यालय के लिए खर्च का आबंटन :

निगम मुख्यालय का खर्च, जिसमें अतिरिक्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक शामिल है, नीचे दिए अनुसार आबंटित किया गया है :–

i) संचालनात्मक परियोजनाओं के लिए करों, शुल्कों को छोड़कर, बिजली की बिक्री और परिवहन प्रभारें 1% की दर से वर्ष के लिए हिसाब में ली गयी हैं।

ii) कुरिचू परियोजना के मामले में प्रत्यक्ष पूंजीगत खर्च के 5% की दर से।

iii) शेष खर्च वर्ष के दौरान हुए शुद्ध पूंजीगत खर्च के अनुपात में अन्य परियोजनाओं को आबंटित किया गया है।

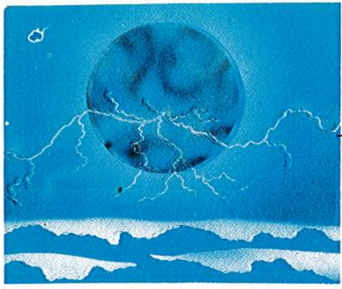

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की सेवा में

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च, 1995 के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न निगम के उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ व हानि-लेखा, जिसमें लेखापरीक्षकों द्वारा यूनिटों का लेखापरीक्षण भी शामिल है, की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 11 अक्तूबर, 1995 को स्वीकार किए गए और हमारे द्वारा दिनांक 12 अक्तूबर, 1995 को प्रस्तुत किए गए लेखे संशोधित कर दिए गए हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) (देखें अनुसूची 14 की टिप्पणी संख्या 18) के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप दिनांक 2 फरवरी, 1996 को निदेशक मंडल द्वारा पुनः स्वीकार कर लिए गए हैं। हमारी रिपोर्ट है कि :–

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4 क) की शर्तों में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्माता व अन्य कंपनियों (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 1988 के अन्तर्गत अपेक्षित और परीक्षा तथा लेखापरीक्षा के दौरान हमें दी गई सूचनाओं तथा स्पष्टीकरणों के आधार पर कथित आदेश पैरा 4 और 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण इस रिपोर्ट में संलग्न है।

2. उपर्युक्त अनुबंध के पैरा 1 के अलावा हमारी रिपोर्ट है कि :–

(क) हमने वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

(ख) हमारे विचार से, जैसा कि बहियों की जांच से पता चलता है, निगम ने कानूनी तौर पर अपेक्षित व समुचित लेखा बहियां रखी हैं और लेखा-परीक्षा करने के लिए निगम की शाखाओं के बारे में समुचित रिटर्न हमें प्राप्त हो गई हैं, जिनकी हमने लेखापरीक्षा नहीं की थी। जिन शाखाओं की हमने लेखापरीक्षा नहीं की थी उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें प्राप्त हो गई है और अपनी रिपोर्ट को तैयार करते समय प्राप्त रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा गया है।

(ग) इस रिपोर्ट में प्रयुक्त तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा, लेखा बहियों और रिटर्न से मेल खाते हैं।

(घ) हमारे विचार और अधिकतम,जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुसूची (14) की टिप्पणियों में दिए गए लेखे और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां कम्पनी अधिनियम, 1956 में अपेक्षित जानकारी के अनुसार सही हैं।

(i) चमेरा चरण-I जल विद्युत परियोजना की एक पार्टी के पास पेशगी के 228.76 लाख रुपए की बकाया राशि का मामला संदेहजनक है जबकि इसके विरोध में पार्टी ने 3365.77 लाख का दावा किया है।

(ii) टिप्पणी सं.-4
सलाल जल विद्युत परियोजना के लेखे सरकार के निर्देशों के आधार पर वैधानिक परामर्श से रखे गए हैं।

(iii) टिप्पणी संख्या 5.1 और 5.2
हम बिक्री, विविध ऋण और लाभ संबंधी समायोजन के परिणाम का निर्धारण करने में असमर्थ हैं क्योंकि ये सभी मामले दर-निर्धारण के संबंध में सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के कारण उत्पन्न हुए हैं जोकि निश्चित भी नहीं है।

(iv) टिप्पणी सं. 6
संदर्भ : भारत सरकार/पी.जी.सी.आई.एल. को ट्रांसमिशन लाइनों को हस्तांतरण संबंधी समझौता लंबित है।

(v) टिप्पणी संख्या. 7
संदर्भ : भूमि खरीद का मामला निश्चित न होने के कारण उस भूमि को अस्थाई आधार पर पूंजीकृत किया गया है। अन्य औपचारिकताएं लंबित होने के कारण 'टाइटिल डीड' का पंजीकरण/निष्पादन पूरा नहीं किया जा सका है।

(vi) टिप्पणी सं. 9 (iii)
संदर्भ : उड़ी जल विद्युत परियोजना के भण्डारों का मूल्य भण्डारण लेखों से समाधान नहीं हुआ है।

(vii) टिप्पणी संख्या 10 (i)
संदर्भ : प्राइज स्टोर लेजर के 137.49 लाख रुपए (शुद्ध क्रेडिट) के अन्तर को चमेरा-I जल विद्युत परियोजना के निर्माण के दौरान प्रासंगिक खर्च (आई.ई.डी.सी.) में समायोजित कर दिया है।

(viii) टिप्पणी संख्या 10 (ii)
चमेरा चरण-i जल विद्युत परियोजना में ठेकेदारों/सप्लायरों को अनुमानित आधार पर दी गई देयताएं अंतिम निपटान के लिए लंबित हैं।

(ix) टिप्पणी संख्या 11 (i)

संदर्भ : दुलहस्ती परियोजना को इस आधार पर कोई देयताएं नहीं दी गई है और यह अभी यह निश्चित भी नहीं है।

(x) टिप्पणी संख्या 12
संदर्भ : ठेकेदारों को दी गई सामग्री, ठेकेदारों, विविध देनदारों, विविध लेनदारों को दी गई पेशगियां, ठेकेदारों की जमाओं/धरोहर राशि का और उसके कारण खातों पर पड़ने वाले प्रभाव का समाधान/पुष्टि नहीं हो पाई है।

(xi) टिप्पणी संख्या 15
संदर्भ : ब्याज और रिडम्पशन राशि के भुगतान का समाधान नहीं हुआ है।

(xii) टिप्पणी संख्या 17
संदर्भ : ग्रेच्युटी का प्रावधान अनुमानित आधार पर किया गया है न कि अंकित मूल्यांकन के आधार पर तथा उपरोक्त लेखों पर पड़ने वाला प्रभाव स्पष्ट व सही है।

क– 31 मार्च, 1995 को निगम के कार्यों को प्रदर्शित करने वाले तुलन-पत्र के मामले में।

ख– उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए निगम के लाभ व हानि लेखे में लाभ के मामले में।

कृते व की ओर से
सुरेश चन्द्र व एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 3.2.1996

(मधुर गुप्ता)
भागीदार

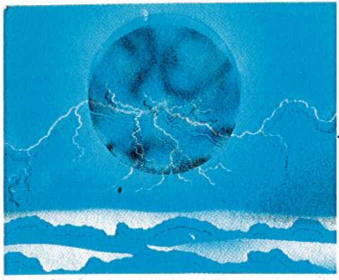

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के पैरा संख्या 1 के संबंध में

1. निगम ने स्थिर परिसम्पत्तियों के बड़े हिस्से का पूरा ब्यौरा दिखाने वाला मात्रात्मक विवरण सहित रिकार्ड रखा है केवल कुछ मामलों में, स्थिर परिसम्पत्ति रजिस्टर में परिसम्पत्तियों की स्थिति नहीं दर्शायी गई है। प्रबंध वर्ग ने अधिकांश परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है। फिर भी, कुछ परियोजना में रिपोर्ट समाधान के अधीन हैं जिसके कारण ऐसे मामलों में कमियां, यदि कोई हों, के बारे में हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। वर्ष के दौरान कोई बड़ी कमी नहीं देखी गई।
2. वर्ष के दौरान किसी भी स्थिर परिसम्पत्ति का पुनःमूल्यन नहीं किया गया है।
3. प्रबंध वर्ग द्वारा अधिकांश परियोजनाओं में माल सूची की चिरस्थायी पद्धति का अनुसरण करते हुए भण्डारों, अतिरिक्त पुर्जों और कच्चे माल का वास्तविक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में प्रबंध वर्ग द्वारा अपनाई गई पद्धति निगम के आकार और इसके व्यवसाय की किस्म के अनुरूप संतोषजनक है।
4. प्रबंध वर्ग द्वारा स्टॉक, पुर्जों, भण्डारों, संचालन योग्य आपूर्तियों आदि का वास्तविक सत्यापन करने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वह निगम के आकार एवं व्यवसाय की किस्म के अनुसार उचित एवं पर्याप्त है।
5. वास्तविक भण्डार और रिकार्ड बुक के वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों को लेखा खातों में समायोजित कर दिया गया है केवल कुछ परियोजनाओं को छोड़कर, जहां कमियां समाधान के अधीन हैं।
6. स्टॉक रिकार्ड की जांच करने के बाद, हमारी राय में स्टॉक का मूल्यांकन पिछले वर्ष की भांति लेखा नियमों के अनुसार सही व उचित है।
7. हमें दी गई जानकारी के अनुसार, निगम ने वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों से तथा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उपधारा (आई.बी.) के अंतर्गत समान प्रबंधवर्ग की कम्पनियों से किसी भी प्रकार का आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं लिया है।
8. हमें दी गई जानकारी के अनुसार, निगम ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध किसी भी कंपनी, फर्म या अन्य पार्टी को और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 की उपधारा (आई.बी.) के अंतर्गत समान प्रबंधवर्ग की कम्पनियों को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षित या अनारक्षित ऋण नहीं दिया है।
9. जिन पार्टियों और कर्मचारियों को ऋण के रूप में ऋण और पेशगी दी गई है वे सामान्यतः नियमित रूप से मूल राशि और ब्याज, संदेहजनक पेशगी संबंधी मामलों को छोड़कर, का भुगतान कर रहे हैं।
10. हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भण्डारों, कच्चे माल (पुर्जों सहित) संयंत्र व मशीनरी, उपस्कर और अन्य परिसंपत्तियों व सामान की बिक्री के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया निगम के आकार और कार्यों के अनुरूप है।
11. प्रबंधवर्ग द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अनुसरण में बनाई गई प्रत्येक पार्टी के लिए वर्ष के दौरान रु. 50,000/- या इससे अधिक के लिए किसी प्रकार के सामान व सामग्री की खरीदारी व बिक्री तथा सेवाओं का कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
12. जैसा कि हमें बताया गया है बेकार या क्षतिग्रस्त भण्डारों/कच्चे माल को निर्धारित करने के लिए निगम के पास कोई नियमित प्रक्रिया नहीं है। फिर भी हानि, यदि कोई हो, के लिए व्यवस्था इन आइटमों को निर्धारित करते समय की जाती है।
13. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58-ए के अंतर्गत निगम ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।
14. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम में रद्दी सामग्री की बिक्री और निपटान के लिए समुचित रिकार्ड रखे जा रहे हैं।
15. निगम के आकार और व्यवसाय को देखते हुए आंतरिक लेखा विभाग के आकार और कार्य क्षेत्रों का विस्तार करने तथा इसे और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
16. हमें बताया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रख-रखाव केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है।
17. निगम द्वारा रखे गए रिकार्ड के अनुसार वर्ष के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशि देयताएं सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों के पास समय पर जमा करा दी जाती हैं। हमें बताए गए अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम पर लागू नहीं होता।
18. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 1995 को आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्री-कर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के संबंध में देय तारीख से छः महीने से अधिक अवधि के लिए ऐसी कोई अविवादास्पद राशि देय नहीं थी।

19. हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई व्यक्तिगत खर्चे, जो संविदा दायित्वों या सामान्य स्वीकृत व्यवसाय पद्धति के अनुसार आते हैं, को छोड़कर, को राजस्व लेखे में चार्ज नहीं किया गया है।

20. घाटा औद्योगिक कंपनी (विशेष व्यवस्था) अधिनियम, 1985 की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ओ) के अर्थ में निगम घाटा औद्योगिक निगम नहीं है।

21. एजेंसी कार्यों/डिपाजिट कार्यों के संबंध में :–

    (i) निगम में भंडारों और सामग्रियों की प्राप्तियों, निर्गमों और उपभोग में ली गई सामग्रियों तथा संबद्ध कार्य में प्रयुक्त मानव घण्टों के युक्तिसंगत आबंटन के लिए व्यवस्था है।

    (ii) निगम में भण्डार जारी करने तथा भण्डार और श्रमिकों के आबंटन के लिए उचित स्तर पर अपेक्षित नियंत्रण वाली एक समुचित पद्धति मौजूद है।

कृते व की ओर से
सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउटेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 3.2.1996

(मधुर गुप्ता)
भागीदार

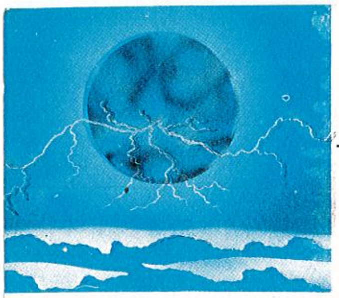

अनुबंध - I
(निदेशकों की रिपोर्ट)

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि0, फरीदाबाद के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

निगम के लेखों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के आधार पर लेखा (अनुसूची-14) के नोट्स की मद सं. 18 में दिखाए अनुसार संशोधित कर दिया गया है, जो लेखों का ही हिस्सा बन गई हैं। 31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि., फरीदाबाद के संशोधित लेखों पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में पुन: निम्नलिखित टिप्पणियां या अतिविवरण दिए गए हैं।

टिप्पणी

क. तुलन-पत्र

(i) इक्विटी में समायोजित भारत सरकार की निधि-53746 लाख रूपए

लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं की वाणिज्यिक आपूर्ति के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई वित्तीय पद्धीत के अनुसार ही निगम ने सलाल-1 परियोजना के लिए परियोजना निर्माण की संशोधित अनुमानित लागत 33160 लाख रूपए के पहले 50 प्रतिशत को भारत सरकार के इक्विटी अंशदान के रूप में परिवर्तित कर दिया है, जिसमें निर्माण के दौरान ब्याज भी शमिल है। यद्यपि नवंबर, 1987 में परियोजना का निर्माण पूरा हो गया था और उसे निगम को हस्तांतरित कर दिया गया था, लेकिन हस्तांतरण करार को अभी तक लागू नहीं किया गया है। फलस्वरूप इस राशि को "इक्विटी के लिए समायोज्य भारत सरकार की निधि'' के अंतर्गत दर्शाया जा रहा है और 33160 लाख रूपए के शेयर भारत सरकार के राष्ट्रपति के पक्ष में जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कंपनी की शेयर पूंजी की एक गलत छवि उभरी है।

उत्तर: वार्षिक लेखा 1994-95 के ''लेखों पर टिप्पणियों'' (अनुसूची 14) की टिप्पणी सं. 4 में स्थिति पर्याप्त रूप से दर्शायी गई है।

(ii) स्थिर परिसंपत्तियां (अनुसूची-4)
सकल ब्लॉक : 359780 लाख रूपए

निर्माण अवधि में उपयोग में लाए गए प्रारंभिक परिसंपत्तियों/उपस्करों में हुए नुकसान को संबद्ध परियोजनाओं के व्यापारिक दृष्टि से चालू होने के समय पूंजीकरण में से इन परिसंपत्तियों/उपस्करों के कुल मूल्य से कम नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप चमेरा-1 परियोजना के लिए सकल ब्लॉक में 12817 लाख रूपए का अधिविवरण हुआ जिसे क्रमश: लाभान्वित होने वाले राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से वसूल की जाने वाली दर भी अधिक निर्धारित हुई, क्योंकि दर का परियोजना की लागत (सकल ब्लॉक) से सीधा संबंध होता है।

उत्तर

एन. एच. पी. सी. ने लाभभोक्ता राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों से ली जाने वाली दरों के निर्धारण के लिए सभी सूचनाएं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी थीं, जो जांचाधीना हैं। इस समय अंतिम निर्णय लंबित होने के कारण एन. एच. पी. सी. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार केवल प्रोविजनल आधार पर निर्धारित चार्ज पर वसूली कर रही है।

(iii) **शुद्ध ब्लॉक : 322797 लाख रूपए**

निगम ने लोकतक और बैरा स्यूल परियोजनाओं की सुरंगों में हुई हानि के लिए विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अनुसार लागू दरों से निम्न दरों पर कीमत वसूल की है। इसके परिणामस्वरूप 1994-95 तक 1584 लाख रूपए तक हानि मूल्य की वसूली की गई। इसकी ओर जब लेखापरीक्षण में ध्यान दिलाया गया तो निगम ने 152 लाख रुपए वसूल किए, यानी 1994-95 के संशोधित राशि के लाभ एवं हानि के अंतर का मूल्य। फिर भी, पिछले वर्षों के 1432 लाख रुपए की राशि का प्रभाव नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल्यह्रास में अतिविवरण और शुद्ध ब्लॉक में 1432 लाख रुपए तक अधिविवरण हुआ है।

विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के अनुसार मूल्यह्रास की दर में पिछले वर्षों के लिए अंतर संबंधी प्रभाव की जांच की जा रही है और समायोजन, यदि कोई हो, वार्षिक लेखों 1995-96 में किया जाएगा।

(ख) **लाभ व हानि लेखा**

वर्ष के लिए 13184 लाख रुपए का लाभ निम्नलिखित बातों के आधार पर ध्यान में रखा जाना है :

(i) **कर्मचारियों का पारिश्रमिक और लाभ (अनुसूची-12)**

वेतन मजदूरी और भत्ते- 2784 लाख रूपये

इसमें बैरास्यूल, लोकतक, सलाल-1, टनकपुर और चमेरा-1 की पूरी हो चुकी परियोजनाओं में कार्यरत अतिरिक्त स्टाफ का पारिश्रमिक दर्शाने वाले 2469 लाख रुपए की राशि शामिल नहीं है, जिसे राजस्व खर्च मानने की अपेक्षा पूंजीकृत माना गया है और निर्माणाधीन परियोजनाओं को आबंटित किया गया है। इसके परिणामस्वरूम 2469 लाख रूपये के लाभ और इसके साथ इतनी ही राशि के चालू पूंजीगत कार्य आई.ई.डी.सी. (अनुसूची-5) में अधिविवरण हुआ है।

लेखा नीति सं. 9 कारपोरेट कार्यालय खर्च के आंबटन संबंधी है जो विभिन्न संचालित परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं के अतिरिक्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक सहित कारपोरेट कार्यालय खर्च के आबंटन के आधार पर है और इसका निरंतर अनुकरण किया जा रहा है।

(ii) वित्त मंत्रालय के दिनांक 4.6.1993 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार निगम भारत सरकार द्वारा गारंटी दिए गए विदेशी उधारों पर ब्याज सहित मूलधन की बकाया राशि पर 1.2% वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही देय तिथि (यों) पर गारंटी शुल्क का भुगतान न होने की स्थिति में निगम अदायगी न की गई अवधि के लिए सामान्य दर से दुगना गारंटी शुल्क अदा करने के लिए न तो 1.2% वार्षिक की सामान्य दर से भुगतान किया है न ही इसकी व्यवस्था की है। इसके परिणामस्वरूप लाभ में 592 लाख रूपए तक अधिविवरण और चालू पूंजीगत कार्य आई.ई.डी.सी. (अनुसूची-5) में 1411 लाख रुपए तथा चालू देयताएं और व्यवस्थाएं - अन्य देयताएं (अनुसूची-8) में 2003 लाख रुपए तक अधिविवरण हुआ है। साथ ही दुगुनी दर अर्थात 2.4 प्रतिशत वार्षिक की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करना निगम का दायित्व है।

निगम द्वारा जून, 1993 तक एकत्रित किए गए विदेशी ऋणों के संबंध में भारत सरकार ने किसी गारंटी शुल्क की लेवी का प्रतिबंध नहीं लगाया था। वित्त मंत्रालय ने जून 1993 में सलाह दी थी कि पिछले आंतरिक और बाह्य ऋणों पर, जिन पर पहले गारंटी दी जानी थी, उन पर भी गारंटी शुल्क देय है। इस मामले पर भारत सरकार के संबंधित प्राधिकरणों से अभी तक पत्राचार किया जा रहा है।

(सुरेन्द्र पाल)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-III,
नई दिल्ली
दिनांक : 19 फरवरी, 1996

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध–2

31 मार्च, 1995 को समाप्त वर्ष के लिए नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि० फरीदाबाद के लेखों की भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा समीक्षा ।

(लेखों की समीक्षों भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक की कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार टिप्पणियों और सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में दी गई आपत्तियों के बिना तैयार की गई हैं।)

1. वित्तीय स्थिति

नीचे दी गई सारणी में निगम की पिछले तीन वर्षों की वित्तीय स्थिति संक्षेप में दी गई है :

(रूपए लाखों में)

			1992–93	1993 –94	1994–95
देयताएं					
क)	I)	प्रदत्त पूंजी	225523	249908	229524
	II)	इक्विटी में समंजन योग्य केन्द्रीय सरकार की निधियां	37725	33340	53746
ख)		आरक्षित तथा अधिशेष			
	I)	फ्री आरक्षित तथा अधिशेष	21012	23371	28988
	II)	सौंपा गया आरक्षित	12259	16454	19204
ग)		उधार			
	I)	भारत सरकार से	53175	51500	47913
	II)	विदेशी संस्थानों से	71281	91745	126513
	III)	वित्तीय संस्थानों से	10000	40000	40000
	IV)	बॉण्डों से	126091	143713	169228
	V)	अन्य	750	4600	–
	VI)	उपचित ब्याज और देय	4574	12299	21831
घ)		चालू देयताएं और प्रावधान	29891	20990	31586
		कुल	592281	687920	76853 3
परिसंपत्तियाँ					
च)		सकल ब्लॉक	122933	160399	359780
छ)		घटाएं संचयी मूल्यह्रास	26621	29124	36983
ज)		शुद्ध ब्लॉक	96312	131275	322797
झ)		चालू पूंजीगत कार्य	299404	314869	338007
ट)		निर्माण भंडार व पेशगियाँ	102457	136818	22654
ठ)		चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व पेशगियाँ	93795	104502	84012
ड)		विविध खर्चे (बट्टे खाते या समायोजित न किए जाने की सीमा तक)	313	456	1063
		कुल	592281	687920	76853 3
त)		नियोजित पूंजी (ज+ठ-घ-ग) (VI)	155642	202488	353392
थ)		शुद्ध मूल्य (क+ख (ट)-ड)	283947	306163	311195
द)		प्रदत्त पूंजी का प्रति रूपया शुद्ध मूल्य	1.08	1.08	1.09
ध)		ऋण इक्विटी अनुपात	0.92	1.08	1.23

2. नकदी

क) कुल शुद्ध परिसंपत्तियों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता 1992-93 में 15.84% से घटकर 1993-94 में 15.20% और 1994-95 में 10.95% हो गई।

ख) चालू देयताओं और प्रावधानों में चालू परिसंपत्तियों की प्रतिशतता, जो कि ऋणशोध क्षमता का एक मानदंड है, वर्ष 1992-93 में 272.15% से बढ़कर 1993-94 में 313.92% तथा 1994-95 में घटकर 157.28% हो गई।

ग) द्रुत परिसंपत्तियों (चालू परिसंपत्तियां घटा मालसूचियां) की प्रतिशतता देयताएं (प्रावधानों को छोड़कर लेकिन उपचित ब्याज व देयता सहित), जो कि नकदी का अन्य साधन हैं 1992-93 में 266.38% से बढ़कर 1993-94 में 318.45% और 1994-95 में घटकर 162.15% हो गई।

3. कार्यकारी पूंजी

निगम की कार्यकारी पूंजी (चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण व पेशगियाँ घटा चालू देयताएं और प्रावधान, उपचित ब्याज तथा देयता सहित) 31 मार्च, 1995 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की समाप्ति पर निगम की क्रमशः 59330 लाख रूपए, 71213 लाख रूपए और 30595 लाख रूपए थी। कार्यकारी पूंजी में बिक्री की प्रतिशतता (ढुलाई प्रभारों सहित) 1992-93 में 30.15%, 1993-94 में 33.21% और 1994-95 में 176.26% थी।

4. निधियों के स्रोत और उपयोग

109462 लाख रूपए की निधियां आंतरिक और बाह्य स्रोतों से एकत्रित की गईं और वर्ष के दौरान उनका उपयोग नीचे दिए अनुसार किया गया :-

निधियों के स्रोत

		(रूपए लाखों में)
संचालन से प्राप्त निधियां		
क) लाभ	9367	
जोड़ें : मूल्यह्रास	7859	17226
ख) पूंजी में वृद्धि		22
ग) ऋण में वृद्धि		52096
घ) कार्यकारी पूंजी में कमी		40118
कुल		**109462**

निधियों का उपयोग

क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर और निर्माण स्टोर व पेशगियों सहित स्थिर परिसंपत्तियों में वृद्धि	108355
ख) विविध खर्च में वृद्धि	607
ग) प्रदत्त डिविडेंट	500
कुल	**109462**

5. कार्यकारी परिणाम :

31 मार्च, 1995 को समाप्त निगम के पिछले तीन वर्षों के कार्यकारी परिणाम नीचे दिए गए हैं:-

(रूपए लाखों में)

	1992-93	1993-94	1994-95
i) बिक्री (ढुलाई प्रभारों सहित और दर समंजन की व्यवस्था के बाद)	15519	20866	48051
ii) लाभ ((पूर्व अवधि के बाद और असाधारण मदें)	4149	7054	9367
iii) लाभ की प्रतिशतता			
क. बिक्री	26.7	33.8	19.5
ख. नियोजित पूंजी	2.7	3.5	2.7
ग. शुद्ध मूल्य	1.5	2.3	3.0
घ. इक्विटी पूंजी	1.6	2.5	3.3

6. मालसूची

31 मार्च, 1995 को समाप्त पिछले वर्षों की समाप्ति पर भण्डार व कल-पुर्जों तथा अतिरिक्त औजारों की कीमत क्रमशः 1988 लाख रूपए, 2085 लाख रूपए और 2438 लाख रूपए थी।

7. विविध देनदार

31 मार्च, 1995 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के विविध देनदार तथा बिक्री संबंधी ब्यौरे नीचे गए हैं :-

(रूपए लाखों में)

31 मार्च को	विविध देनदार			बिक्री (ढुलाई प्रभारों सहित और दर समंजन की व्यवस्था के बाद)	बिक्री में देनदारों की प्रतिशतता
	कंसीडर्ड गुड	संदेहास्पद माने गए	कुल		
1993	19179	6542	25721	15519	166
1994	25080	9323	34403	20866	165
1995	43104	18253	61357	48051	128

(सुरेन्द्र पाल)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा
व पदेन-सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 19 फरवरी,1996

निदेशकों की रिपोर्ट का
अनुबंध-3

कंपनी (कर्मचारियों के ब्यौरे) नियमावली,1975 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 217(2क) के तहत अपेक्षित सूचना :

(क) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक पूरे वर्ष 3,00,000/-रू. से कम नहीं था।

नाम व पदनाम	पारिश्रमिक (रूपए)	रोजगार का रूप	योग्यता व अनुभव	एन.एच.पी.सी. में सेवा आरंभ की तिथि	आयु	पूर्व पद, जिस पर कार्य किया
ड्विटिया ई. (कु.) निदेशक(तकनीकी)	3,88,822	सरकारी नियुक्ति	बी.ई. (सिविल) एम.टैक. (स्ट्रक्ट) (36 वर्ष)	22.03.79	57	उप निदेशक केन्द्रीय जल आयोग

(ख) उन कर्मचारियों के ब्यौरे, जिन्होंने वित्तीय वर्ष के आंशिक भाग के लिए कार्य किया और जिनका पारिश्रमिक 25000/- रुपए प्रतिमाह से कम नहीं था - शून्य

टिप्पणियाँ

(1) उपरोक्त कर्मचारी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अर्थो की दृष्टि से निगम के किसी निदेशक के संबंधी नहीं हैं।

(2) नौकरी की शर्तें वही हैं, जो समय-समय पर यथास्थिति, निगम पर लागू सरकारी नियमों एवं अधिनियमों द्वारा निर्धारित होती हैं।

(3) उपरोक्त सूची में निर्दिष्ट पदनाम, कर्मचारियों द्वारा की गई ड्यूटियों के प्रकार को दर्शाते हैं।

(4) (क) "पारिश्रमिक" में ये बातें शामिल हैं-निगम द्वारा लीज़ पर लिए गए आवास की लागत, जहां लागू हो, भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान इत्यादि।

(ख) ग्रेच्युटी राशि को लेखे में नहीं लिया गया है क्योंकि यह अनुमानित आधार पर है।

निर्माणाधीन बैराज - उड़ी परियोजना (जम्मू व कश्मीर)

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०
(भारत सरकार का उद्यम)
एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33
फरीदाबाद, हरियाणा-121003.

इम्पैक्ट एडवरटाइजिंग द्वारा अभिकल्पित